SACHCHA RAHI • ISSN 2582-4007 • VOL 21 • ISSUE 12 • FEBRUARY 2023

हिन्दी मासिक

फरवरी 2023

सच्चा राही

लखनऊ

सामाजिक एवं साहित्यिक

मदारिसे इस्लामिया रोशनी के मीनार

मदरसों की बड़ी क़द्र की ज़रूरत है, यह रोशनी के मीनार हैं , अगर यह न रहेंगे तो अंधेरा ही अंधेरा होगा, तब कोई आपको बताने वाला न होगा कि किस बात से अल्लाह ख़ुश होता है, किस बात से अल्लाह नाराज़ होता है ? और किस बात से आख़िरत में कामयाबी हासिल होती है, किस बात से आख़िरत तबाह होती है ? तो इन मदरसों की आप क़द्र कीजिए और इनकी अहमियत को समझये, हमारी ज़िन्दगी के स्रोत और कामयाबी के चश्मे इन्हीं से फूटते हैं । (हज़रत मौलाना सय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी)

एक प्रति ₹ 30/=

वार्षिक ₹ 300/=

सरपरस्त
हज़रत मौलाना सै० मुहम्मद राबे हसनी नदवी
नाज़िम नदवतुल उलमा, लखनऊ

सम्पादक
मु0 गुफ़रान नदवी
उप सम्पादक
जमाल अहमद नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग,
लखनऊ – 226007
☎ 0522–2740406 (8:00 am to 1:00 pm)
E-mail: sachcharahi2002@gmail.com
http://sachcha-rahi.nadwa.in/
www.nadwatululema.org

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 30/-
वार्षिक	₹ 300/-
विदेशों में (वार्षिक) 50 यु.एस. डॉलर	

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
SACCHA RAHI

SACCHA RAHI
A/c. No. 10863759642
IFS Code: SBIN0000125
Swift Code: SBINNB157
State Bank of India,
Main Branch, Lucknow.

कृप्या पैसा जमा करने के बाद दफ़्तर के फोन नम्बर अथवा ई–मेल पर खरीदारी नम्बर के साथ अवश्य सूचित करें।

हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक लखनऊ
SACHCHA RAHI.ISSN 2582-4007
फरवरी 2023 वर्ष 21 अंक 12

हिन्दुस्तानी समाज का संकट

इस वक़्त हिन्दुस्तानी समाज संकट में है। इसको वह कीड़ा लग गया है, जो भीतर ही भीतर उसे खोखला कर रहा है। जब कोई समाज बाहरी तौर पर दिवालिया और भीतरी तौर पर खोखला हो जाये तो उसको न कोई हुकूमत बचा सकती है और न तो कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था ही उसकी हिफ़ाज़त कर सकती है और न एक भाषा और न सभ्यता द्वारा ही उसकी रक्षा हो सकती है।

(मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली नदवी रह0)

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा ख़त्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। आप अपना पैसा दिये गये बैंक खाते में भी जमा कर सकते हैं। अथवा मनीआर्डर से भी भेज सकते हैं। मनीआर्डर के कूपन पर अपने खरीदारी नम्बर के साथ मोबाइल नम्बर अवश्य लिखें।

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद ताहा अतहर द्वारा काकोरी आफसेट प्रिंटिंग प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर सच्चा राही नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित।
Designing & Composing by: Qamaruzzama-8318047804

विषय एक दृष्टि में

कुर्आन की शिक्षा	मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी	05
प्यारे नबी की प्यारी बातें	मौलाना हकीम सै0 अब्दुल हई हसनी रह0	07
सर्वश्रेष्ठ कौन	मुहम्मद गुफ़रान नदवी	08
अत्याचार, अन्याय और स्वार्थ प्रथा	हज़रत मौ0 सय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी	10
इस्लामी अक़ीदे	मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी	11
भारत के अतीत में मुस्लिम	सैय्यद सबाहुद्दीन अब्दुर्रहमान	13
दाख़िली दुश्मन खारिजी दुश्मन	मौलाना डॉ0 सईदुर्रहमान आजमी नदवी	15
इल्म और मुसलमान	डॉ0 हाफिज़ हारून रशीद सिद्दीक़ी रह0	19
क्या है जी0एम0 फूड?	इं0 जावेद इक़बाल	22
आगाह अपनी मौत से	जमाल अहमद नदवी	24
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती मुहम्मद ज़फ़र आलम नदवी	26
मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य	नजमुस्साक़िब अब्बासी नदवी	28
क़तर ने इस्राईली प्रोपेगण्डे	अब्दुल अज़ीज़	30
घरेलू मसायल	मौलाना मुहम्मद बुरहानुद्दीन संभली रह0	32
दो दिवसीय फ़िक़्ही सेमिनार	इदारा	34
देश प्रेम के गुण (पद्य)	अब्दुल रशीद सिद्दीक़ी नसीराबादी	38
बचपन से ही दाँतों की देखभाल	डॉ0 राकेश अग्रवाल	40
अंतर्राष्ट्रीय समाचार	अबू मोहम्मद आमिर नदवी	41
अपील बराए तामीर स्टॉफ क्वाटर्स	इदारा	42

क़ुर्आन की शिक्षा

मौलाना बिलाल अ़ब्दुल ह़ई हसनी नदवी

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सूर-ए-यूनुसः-

अनुवाद–

पूछिए कि क्या है कोई तुम्हारे साझीदारों में जो पहली बार पैदा करे फिर दोबारा पैदा कर दे? कह दीजिए कि अल्लाह पहली बार भी पैदा करता है फिर वह दोबारा भी पैदा कर देगा फिर तुम कहाँ फिरे जाते हो(34) पूछिए कि क्या है कोई तुम्हारे साझीदारों में जो सही राह पर चला दे? कह दीजिए कि अल्लाह सही राह चलाता है तो क्या जो सही राह चलाए वह अनुसरण का अधिक ह़क़दार है या वह जो खुद ही राह न पा सके जब तक उसको राह दिखा न दी जाए? तो तुम्हें क्या हो गया है तुम कैसे फैसला करते हो(35) और उनमें अधिकांश तो अटकल पर चलते हैं और अटकल सत्य के मुक़ाबले में कुछ काम नहीं देता, जो वे करते हैं अल्लाह उससे अच्छी तरह अवगत है[1](36) और यह कुरआन ऐसा नहीं कि अल्लाह के सिवा कोई उसको बना ले बल्कि यह पहले (कलाम) की पुष्टि है और संसारों के पालनहार की ओर से उस किताब का विवरण है जिसमें कोई संदेह नहीं[2](37) या उनका कहना यह है कि उन्होंने खुद से गढ़ लिया, आप कह दें कि इस जैसी एक सूरह ही बना लाओ और अल्लाह के सिवा जिसको बुला सको बुला लो अगर तुम (अपने दावे में) सच्चे हो[3](38) बात यह है कि जिसके ज्ञान पर वे हावी न हो सके उसको उन्होंने झुठला दिया और अभी उसका परिणाम भी उनके सामने नहीं आया, इसी तरह उनके पहलों ने भी झुठलाया तो देख लीजिए कि अत्याचारियों का क्या अंजाम हुआ(39) और उनमें कुछ उसको मानेंगे और कुछ न मानेंगे और आप का पालनहार फसादियों से ख़ूब अवगत है(40) और अगर वे आपको झुठलाएं तो आप कह दीजिए मेरा अपना काम है तुम्हारा अपना काम, मेरे काम से तुम्हें मतलब नहीं और तुम्हारे काम से मुझे क्या लेना देना[4](41) और उनमें कुछ आपकी ओर कान लगाते हैं तो क्या आप बहरों को सुना सकते हैं चाहे वह समझ ही न रखते हों(42) और उनमें कुछ आपकी ओर ताकते हैं तो क्या आप अंधों को रास्ता बता सकते हैं चाहे उनको कुछ सुझाई न देता हो(43) अल्लाह लोगों पर कुछ भी अत्याचार नहीं करता लेकिन लोग अपने ऊपर खुद अत्याचार करते हैं[5](44) और जिस दिन वह उन सबको इकट्ठा करेगा (उनको महसूस होगा कि) वे (दुनिया में) दिन की एक घड़ी रहे थे, आपस में एक दूसरे को पहचानते होंगे[6] बेशक जिन लोगों ने अल्लाह की मुलाक़ात को झुठलाया वे घाटा उठा गये और वे हिदायत पाने वाले थे ही नहीं(45) और जिन चीज़ों से हम उनको डरा रहे हैं अगर हम उनमें से आपको कुछ दिखा भी दें या आपको मौत दे दें (और बाद में अज़ाब के रूप सामने आएं) तो भी उनकी वापसी हमारे पास निश्चित है, फिर अल्लाह उनके सब कामों पर

गवाह है जो वे करते हैं(46) और हर उम्मत (समुदाय) का एक रसूल है फिर जब उनका रसूल आ पहुँचता है तो उनके बीच इंसाफ़ के साथ फ़ैसला कर दिया जाता है और उनके साथ कुछ भी अन्याय नहीं होता(47) और वे कहते हैं कि यह वादा कब पूरा होगा (बताओ) अगर तुम सच्चे हो(48) कह दीजिए कि मैं अपने लिए घाटे और फ़ायदे का मालिक नहीं, मगर उतना ही जितना अल्लाह चाहे, हर उम्मत (समुदाय) के लिए एक समय निर्धारित है फिर जब वह निर्धारित समय आ पहुँचता है तो वे एक घड़ी न पीछे हट सकते हैं, न आगे बढ़ सकते हैं(49) आप कहिए कि तुम्हारा क्या विचार है अगर उसका अज़ाब रातों रात या दिन को तुम पर आ पहुँचे तो अपराधी लोग उससे पहले क्या कर लेंगे(50) क्या फिर जब वह आ पड़ेगा तब मानोगे, अब समझ में आया और पहले तुम्हें इसकी बड़ी जल्दी थी(51) फिर अन्याय करने वालों से कहा जाएगा ''हमेशा के अज़ाब का मज़ा चखो'', तुम्हें बदला उसी चीज़ का दिया जा रहा है जो तुम करतूत किया करते थे[7](52)

तफ़्सीर (व्याख्या):–

1. जो खुद संदेह में पड़ा हुआ है और अटकलें लगा रहा है वह कैसे रास्ता बता सकता है और कैसे उसका अनुसरण किया जा सकता है।

2. यानी संभवतः लौह–ए–महफ़ूज़।

3. इस चुनौती के तीन चरण हैं, पहले चरण में पूरे कुरआन को बना लाने की बात कही गई है जब वे विवश हो गए तो कहा गया केवल दस सूरतें ही बना लाओ, यह भी न कर सके तो कहा गया कि एक ही सूरत बना लाओ, लेकिन वे अरबी भाषा के विशेषज्ञ जो धर्म के कट्टर दुश्मन थे एक आयत भी न बना सके, परेशान हो कर कहते कि यह जादू है, मगर इससे भी बात न बनती, खुद एक बड़ा दुश्मन कहने लगा कि कहाँ जादूगरों का कलाम और कहां यह कुरआन, हम भाषा की नोक–पलक को ठीक करने वाले हैं, दोनों में कोई जोड़ नहीं, आगे कुरआन खुद कह रहा है कि जिसकी वास्तविकता समझ न सके उसको झुठला दिया और परिणाम से अनभिज्ञ हैं, बस पहले आसमानी किताबों के झुठलाने वालों का अंजाम देख लें।

4. यानी जो पहुँचाना था मैंने पहुँचा दिया अब मुझ पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं, तुम नहीं मानते तो तुम जानो।

5. यानी वाह्य कान और आँखें रखते हैं न दिल में सत्य की चाहत है और न अंतर्दृष्टि (बसीरत) तो आप ऐसों को कैसे सही रास्ते पर ला सकते हैं ? तो ऐसों पर ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं।

5. यानी लंबी अवधि के बाद भेंट पर पहचानने में जो कठिनाई होती है वह भी नहीं होगी, लगेगा कि कुछ क्षण ही दुनिया में गुज़ार कर आ गए हैं।

6. मुश्रिक हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से विभिन्न प्रकार की मांगें किया करते थे कि अज़ाब जिससे तुम डराते हो वह ले आओ, उसी का जवाब है कि अज़ाब अल्लाह की हिकमत के अनुसार ही आएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवन में या दुनिया से रुख़सत हो जाने के बाद, बहरहाल उनको अल्लाह के पास ही लौट कर जाना है फिर अनन्त अज़ाब का मज़ा चखना पड़ेगा।

❖❖❖

प्यारे नबी की प्यारी बातें

मौ0 हकीम सै0 अब्दुल हई हसनी रह0

माल में बरकत और वृद्धि का तरीक़ाः—

हज़रत हक़ीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया— यह माल हरा भरा और मीठा है, जो इसको बिना लालच के लेगा तो उसमें बरकत (वृद्धि) होगी और जो लालच के साथ लेगा तो बरकत नहीं होगी, और यह उदाहरण ऐसा ही है कि आदमी खाता है और दिल नहीं भरता और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है (देने वाला हाथ लेने वाले से बेहतर है)।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

दौलत अधिक होने का नुक़सानः—

हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ि0 बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया कि यह माल बहुत हरा—भरा और मीठा है, बहार के मौसम में जो सब्जः उगता है (वह ऐसा होता है कि) उसको जानवर इतना खा जाता है कि पेट फूल जाता है, फिर वह या तो मर जाता है या मरने के क़रीब हो जाता है, अलावा उस जानवर के जो खाता है और जब पेट भर जाता है तो वह धूप खाता है, जुगाली करता है और मल—मूत्र करता है, फिर दोबारा खाता है, (इससे उसको नुकसान नहीं पहुंचता)। यह माल भी बड़ा मीठा है जो इसको सही तरीके से हासिल करता है और फिर सही जगह खर्च करता है तो उसके लिए क्या ही बेहतर रोज़ी है, और जो इसको गलत तरीके से हासिल करता है उसका उदाहरण उस आदमी के समान है जो खाता जाता है और पेट नहीं भरता। (बुख़ारी)

दुनिया का जालः—

हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा रज़ि0 बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमायाः खुदा की कसम! मैं तुम्हारे लिए गरीबी से नहीं डरता हूँ, लेकिन मुझे खतरा है कि तुम्हारे लिए भी दुनिया उसी तरह न फैला दी जाये जैसे तुम से पहले लोगों के लिए फैला दी गई थी, तो तुम उससे मुहब्बत करने लगोगे जिस तरह कि वो मुहब्बत करने लगे थे। और जैसे उनको (मरने के बाद की ज़िन्दगी) से बेख़बर किया, तुमको भी कहीं बेख़बर न कर दे। (बुख़ारी)

दुनिया से मुहब्बत करने वालों का हालः—

हज़रत अबू हुरैरः रज़ि0 फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया— दीनार व दिर्हम का बन्दा (रूपये—पैसों का लालची) तबाह व बरबाद हो, अगर उसको दिया जाए तो खुश और न दिया जाए तो नाराज़ होता है। (बुख़ारी)

इन्सान की कामनाएं ख़त्म होने वाली नहीं हैंः—

हज़रत अनस बिन मालिक और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया कि अगर इंसान को सोने की एक घाटी मिल जाए तो वह चाहेगा कि उसको दो घाटियाँ मिल जाएं, उसके मुँह को मिट्टी ही भर सकती है, अल्लाह तौबः (पश्चाताप) करने वाले की तौबः कुबूल करता है।

(बुख़ारी)

दुनिया में मुसाफिरों की तरह रहोः—

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने मेरे कंधे को पकड़ कर फरमाया— दुनिया में इस तरह रहो जैसे रास्ता चलता मुसाफिर।

◆◇◆ (बुख़ारी)

सम्पादकीय

सर्वश्रेष्ठ कौन?

मुहम्मद गुफ़रान नदवी

यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका जवाब हर इन्सान अपने अपने ढंग और अपनी अपनी समझ के अनुसार देगा, कोई ज़रूरी नहीं कि सभी उत्तरों में समानता हो, बल्कि इसकी संभावना है कि उन उत्तरों में विभिन्नता हो, और सबके लिए जवाब लाभदायक न हो, हमारे जीवन में अनावश्यक काम और अनावश्यक बातें बहुत होती हैं, हमें चाहिए कि हर काम प्रारम्भ करने से पहले सोच लें कि यह काम लाभदायक है या हानिकारक, अल्लाह के अन्तिम नबी और अन्तिम सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जो पूरी मानव जाति के लिए महान उपकारक और पथप्रदर्शक हैं, आप सल्ल0 के मुख से निकले हुए शब्द ज्ञान और बुद्धि से पूर्ण होते हैं, आपका उपदेश है ''ख़ैरुन्नास मन यनफ़उन्नास'' लोगों में सबसे उत्तम वह है जो लोगों को नफ़ा पहुंचाए, आज हमारे समाज में स्वार्थप्रता का चलन बहुत है, हम अपने सामने दूसरे को नहीं देखते, कितने परेशां हाल और ज़रूरतमन्द, कितने बीमार और लाचार लोग हैं, जो अपने आत्मसम्मान की वजह से दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाते और अपनी परेशानी और मजबूरी को दूसरों के सामने ज़ाहिर नहीं करते, इस अवसर पर हमें वह हदीस कुदसी याद आ रही है जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह तआ़ला फ़रमाएगा, ऐ आदम के बेटे! मैं बीमार हुआ, तो तूने मेरा हाल नहीं पूछा, इन्सान कहेगा मेरे रब! मैं कैसे तेरा हाल पूछता जब कि तू तमाम जहानों का पलानहार है, अल्लाह तआला फ़रमाएगा क्या तुझे मालूम नहीं था कि मेरा फ़लां बन्दा बीमार हुआ लेकिन तूने उसकी ख़ैरियत नहीं ली, क्या तुझे मालूम नहीं था, अगर तू उस बीमार की ख़ैरियत मालूम करता तो अवश्य तू मुझे उसके पास पाता, ऐ आदम के बेटे! मैंने तुझ से खाना मांगा था लेकिन तूने मुझे खिलाया नहीं, वह कहेगा, ऐ मेरे रब! मैं तुझे किस तरह खाना खिलाता जब कि तू तमाम जहानों का पालनहार है, अल्लाह फ़रमाएगा क्या तुझे मालूम नहीं था कि मेरे फ़लां बन्दे ने तुझ से खाना मांगा था लेकिन तूने उसे खाना नहीं खिलाया, क्या तुझे मालूम नहीं था कि अगर तू उसे खाना खिलाता तो अवश्य मुझे उसके पास पाता, ऐ आदम के बेटे! मैने तुझ से पानी मांगा था तो तूने मुझे पानी नहीं पिलाया वह कहेगा, ऐ मेरे रब! मैं तुझे कैसे पानी पिलाता तू तो तमाम जहानों का रब है, अल्लाह तआला फ़रमाएगा तुझ से मेरे फ़लां बन्दे ने पानी मांगा था मगर तूने उसे पानी नहीं पिलाया, क्या तूने नहीं जाना, अगर तू उसे पानी पिला देता तो अवश्य मुझे उसके पास पाता। सारे प्राणी अल्लाह का कुम्बा है, अल्लाह को सबसे अधिक प्रिय वह है जो उसके कुम्बे के लिए ज़ियादा लाभदायक है इस हदीस का सारांश यह है कि बेसहारा और मजबूर इन्सानों की सेवा करना और उनके साथ सहानुभूति का बरताव करना अल्लाह को बहुत पसन्द है और उसका वह सर्वोत्तम बदला प्रदान करेगा, इस हदीस से ज़रूरत मन्दों के साथ सदव्यवहार करने की अति प्रभावी ढंग से शिक्षा दी गयी है।

इस्लाम की मौलिक शिक्षा यही है कि मनुष्य व्यक्तिगत रूप से और अन्य लोगों के लिए लाभादायक और लाभप्रद हो किसी के लिए हानिकारक न हो, यह उसी रूप में संभव है जब मनुष्य स्वार्थी न हो, वह हर छोटा बड़ा काम अल्लाह को राज़ी करने के लिए और प्रसन्न करने के लिए करे तभी वह स्वार्थी होने से बच सकता है, अल्लाह की प्रसन्नता, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पूर्ण अनुसरण से संबंधित है। ''की मुहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं'', कुर्आन मजीद में अल्लाह तआला फ़रमाता है:– ***''आप सल्ल0 कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से प्रेम करते हो तो मेरी राह चलो, अल्लाह तुम से प्रेम करने लगेगा और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला अत्यन्त दयालू है। (आले इमरान–30)***

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम समस्त सृष्टि के लिए करूणा और दया हैं, इसलिए आपके आदेशों और उपदेशों में व्यक्ति और समाज दोनो के लिए सरलता और सुरक्षा है। आपने फरमाया रास्ते से कष्टदायक चीज़ को हटाना भी सद्क़ा है, कम शब्दों में मानव समाज के लिए कितना बड़ा पैग़ाम है, अल्लाह के प्यारे नबी के इस आदेश पर यदि हर आदमी अमल करे तो रासता चलते फिरते कितनी सरलता पूर्वक नेकियाँ कमा सकता है, शर्त यह है कि इस काम से अल्लाह की प्रसन्नता और नबी करीम सल्ल0 के अनुसरण का उद्देश्य हो।

लाभदायक कामों की इच्छा स्वयं इन्सान के दिल में हो और दूसरों को भी इसकी प्रेरणा दे, अल्लाह के नबी सल्ल0 ने फ़रमाया– भलाई की ओर आदेशों में से यह भी आदेश है कि किसी छायादार पेड़ के नीचे मलमूत्र मत करो, छायादार पेड़ के नीचे मनुष्य और पशु बैठते और आराम करते हैं, करुणा और दया के दृष्टिकोण से यह आदेश कितना शिक्षाप्रद है, इसमें मानव और पशु के बीच अन्तर भी बताया जा रहा है, इसमें सभ्यता की भी शिक्षा है।

सम्पादकीय की प्रारम्भिक पंक्तियों में नबी करीम सल्ल0 के जिस महत्वपूर्ण आदेश का उल्लेख किया गया है हमें हर समय अपनी नज़रों के सामने उसे रखना चाहिए आदेश यह है ''लोगों में सबसे उत्तम वह व्यक्ति है जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाला हो'' जिस इन्सान के अन्दर लोगों को फ़ाइदा पहुंचाने की विशेषता पैदा हो जाए वह बहुत बहुमूल्य है और अल्लाह की नज़र में अतिप्रिय है।

❖❖❖

गुलामाने मुहम्मद हैं

मौलाना मुहम्मद सानी हसनी

मुसलमां हम हैं गुल्हाए,
गुलिस्ताने मुहम्मद हैं।
खुदा के नाम लेवा हैं,
गुलामाने मुहम्मद हैं।।
ज़हे क़िस्मत दिलो जां से,
फ़िदायाने मुहम्मद हैं।।
ज़बाने गुल फ़शां से हम,
सना ख़्वाने मुहम्मद हैं।।
किया करते हैं रोशन,
हर नफ़स ज़ुल्मत कदे दिल के।
लिये हाथों में अपने,
शम्अ़े इर्फ़ाने मुहम्मद हैं।।
नहीं एहसान हम पर,
इस जहां के रहने वालों का।
खुशा क़िसमत कि हम,
मम्नूने एहसाने मुहम्मद हैं।।
बचाएगा हमें अल्लाह,
कुफ़्रो शिर्को बिद्अ़त से।
कि हम दर्बाने खुश किर्दारे
ऐवाने मुहम्मद हैं।।

◆◇◆

अत्याचार, अन्याय और स्वार्थ प्रथा से बचने की ज़रूरत

हज़रत मौ0 सय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

उपमहाद्वीप हिन्दोपाक जिसमें हिन्दुस्तान एक विशाल और बड़ी जनसंख्या वाला देश है। दो शताब्दी के बाद ब्रिटिश इम्पायर की अधीनता से 1947 ई0 में आज़ाद हुआ, ब्रिटिश काल में यहाँ की आबादी को बहुत ही गरीबी और पिछड़ेपन से गुज़रना पड़ा इसलिए उनको अच्छी और आरामदेह ज़िन्दगी गुज़ारने के लिए बहुत परिश्रम की ज़रूरत थी, दुनिया के आज़ाद मुल्कों में जो तरक़्क़ी हो रही थी उसकी बराबरी बल्कि उससे उत्तम बनना था चुनांचि देश के साहसी लोगों ने दृढ़ संकल्प लिया और देश उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ा, उन्नतिशील लोगों और देशों की पंक्ति में पहुंचने के लिए जिस प्रयास की आवश्यकता थी उसको शुरु कर दिया और देश उन्नति कर गया, और अभी वह उन्नति के मार्ग पर प्रगतिशील है, ऐसी दशा में देश के अन्दर एकता और पारस्परिक सहयोग की बड़ी अहमियत होती है, इस संबंध में इन्सानी शक्तियों का प्रयोग शान्ति और आपसी सहानुभूति और हृदय की उदारता के साथ करना होता है।

देश की जनसंख्या चूंकि विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृतियों पर आधारित है जिनके बीच सरलता पूर्वक सामप्रदायिक्ता और गिरोही पक्षपात और हितों का टकराव हो सकता है जिसको सूझबूझ और अच्छे संस्कारों द्वारा ही कन्ट्रोल करने की ज़रूरत होती है ताकि देश की उन्नति के लिए विभिन्न वर्गों की एकता से सहयोग मिल सके और देश के हित की सुरक्षा हो सके, इसके लिए ज़रूरी है कि देशवासियों को समान अधिकार प्राप्त हों, और जब देश विभिन्न वर्गों पर आधारित है जिनमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का अन्तर भी है तो ज़रूरत है कि इस बात की फ़िक्र रखी जाय कि आपस का विरोध एक दूसरे को ग़लत नज़र से देखने और व्यवहार में समान वर्ताव ना करने की सीमा तक न पहुंचा दे और टकराव और असमंजस की सूरत न पैदा हो और किसी समूह को दूसरे समुदाय विशेष की ओर से किसी शत्रुतापूर्ण व्यवहार से साबक़ा न पड़े, वास्तव में इसकी बड़ी ज़िम्मेदारी देश के बुद्धिजीवियों और सत्ता– धारियों पर आती है उनको इस बात की फ़िक्र रखना होती है कि वह देश के समस्त वासियों के संबंध में समान व्यवहार रखने पर ध्यान दें और देखें कि उनको उनका अधिकार लोकतांत्रिक और सेकुलर बुनियादों पर पूर्ण रूप से मिल रहा है? स्पष्ट है कि देश में ऐसे लोग कुछ न कुछ अवश्य हो सकते हैं जो अपने अलावा दूसरे लोगों को ज़ियादा अवसर देने के पक्ष में न हों, वह कभी कभी अपने संख्याबल की बिना पर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अन्याय और अत्याचार करने को बुरा नहीं समझते, इस प्रकार देश की एक बड़ी जनसंख्या को बेचैनी और दुर्भावना में ग्रस्त कर सकते हैं और हमारे इस अलग अलग वर्ग और अलग अलग धर्म रखने वाले देश भारत वर्ष में ऐसा हो रहा है।

❖❖❖

पिछले अंक से आगे

इस्लामी अक़ीदे (विश्वास)

मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी

फरिश्तों पर ईमानः—

इस्लाम ने फरिश्तों के बारे में ये संतुलित अकीदा दिया कि सब अल्लाह की मखलूक हैं, और उसके पूरी तरह आज्ञाकारी और उसकी बंदगी में हर वक़्त मशगूल रहने वाले हैं, बाल बराबर भी इससे नहीं हटते है, न हट सकते हैं, न वो खुदाई में शरीक हैं और न खुदा के ना फरमान हैं, बल्कि ये दुनिया की व्यवस्था में अल्लाह के क़ासिद (सन्देश वाहक) हैं, अरबी शब्द ''मलक'' का अर्थ ही सन्देश वाहक है, ''मलाइका'' इसका बहुवचन है, उनका काम ही अल्लाह के हुक्मों को लागू करना है और अल्लाह तआला उनको जो हुक्म देता है वो शक्तिहीन अधीनों की तरह उसको मखलूकों में जारी करते हैं।

इंसान को अल्लाह तआला ने सारी सृष्टि में सबसे अफजल (श्रेष्ठ) बनाया, यहां तक कि फरिश्तों पर भी उसको बरतरी दी, उसके सामने फरिश्तों को झुका दिया, इसकी वजह यही है की फरिश्ते मजबूरी में निर्दोष (गुनाहों से पाक) हैं, इसमें उनके इरादों का कोई दखल नहीं, जबकि इंसान की बेगुनाही वैकल्पिक है, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को मासूम बनाया गया है, उनके अलावा अल्लाह तआला अपने जिन बंदों की चाहता है हिफाजत करता है, मगर क्योंकि इसमें इंसान के इरादे व अधिकार का हिस्सा होता है, इसलिए ये उसकी बड़ी फजीलत और बरतरी की बात है वो गलती कर सकता है, ठोकर खा सकता है, मगर अपनी हिफाजत करता है, गलती से अपने आपको बचाता है, ये चीज उसको बुलंदी पर ले जाती है फरिश्तों में ये सलाहियत ही नहीं है, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हर इंसान फरिश्तों से अफजल है, इंसानों में जो मुकम्मल इंसान हैं, जिन्हें अपनी इंसानियत पर हैवानियत के दाग धब्बे नहीं लगाए और अगर कभी कोई बिन्दु लग भी गया तो फौरन उसको उन्हों ने धो दिया, ये इंसान फरिश्तों से अफजल हैं, जिनमें सबसे ऊपर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम हैं और जो इंसानियत को भुला दे, अपने पैदा करने वाले ही को भूल जाये, तो वो जानवरों में शामिल हो जाता है, अल्लाह तआला ने फरमायाः—

अनुवादः— ***''वह तो जानवरों की तरह हैं बल्कि वह उनसे भी गए गुजरे हैं।''***

(अल–आराफः 179)

ऐसे इंसान जानवरों से बदतर हैं, फरिश्तों से उनका क्या मुकाबला, वो तो हकीकत में इंसान कहलाने के भी हकदार नहीं।

अल्लाह की किताबों पर ईमानः—

ईमान के मुकम्मल होने के लिए ये भी जरूरी है कि उन किताबों को तस्लीम किया जाए, जो अल्लाह ने उतारी हैं, इसको ''ईमान बिलकुतुब'' कहते हैं, ये ईमान इजमाली (संक्षिप्त) भी है, और तफसीली (विस्तृत) भी, इजमाली इस तौर पर कि अल्लाह तआला ने जिस नबी पर भी किताबें उतारीं, हम उन सब किताबों को मानते हैं, फिर उनमें अल्लाह तआला ने जिन पैगम्बरों का जिक्र इस सिलसिले में खासतौर पर किया है उनको मानना कि उन सब पर अल्लाह ने किताबें उतारी हैं, अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है—

अनुवादः– ***''आप कह दीजिए कि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं और उस पर जो हम पर उतारा गया और उस पर जो इब्राहीम व इस्माईल और इस्हाक व याकूब और उनकी औलाद पर उतारा गया और जो मूसा और ईसा और दूसरे नबियों को उनके रब की तरफ से दिया गया, हम उनमें आपस में कोई फर्क नहीं करते और हम उसी (अल्लाह) के आज्ञाकारी हैं।***

(आले इमरान–84)

सूरह बकरह में पूरी उम्मत को सम्बोधित कर के यही बात कही गई हैः–

अनुवादः– ***''तुम कह दो कि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं और उस पर जो हम पर उतारा गया और उस पर जो इब्राहीम व इस्माईल और इस्हाक व याकूब और (याकूब) की औलाद पर उतारा गया और जो मूसा व ईसा को दिया गया और जो नबियों को उनके रब की तरफ़ से दिया गया, हम उनमें से किसी के बीच फर्क नहीं करते और हम उसी के आज्ञाकारी हैं।***

(अल–बकरह–136)

सूरह निसा में ईमान लाने के हुक्म के साथ इंकार करने को कुफ़्र करार दिया गया है–

अनुवादः– ***''ऐ ईमान वालो! अल्लाह और उसके रसूल पर और उस किताब पर जो उसने अपने रसूल पर उतारी और उस किताब पर जो उस ने पहले उतारी यकीन पैदा करो और जिसने अल्लाह और उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों और आखिरत के दिन को न माना वो दूर जा भटका। (अल–निसाः 136)***

नाम को साफ साफ जिक्र करने के बाद कुरआन मजीद में चार किताबों का जिक्र है, कुरआन मजीद के अलावा ''तौरेत'' जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी, ''ज़बूर'' जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरी, और ''इंजील'' जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई, इनके अलावा ''सुहुफ–ए–इब्राहीम'' का भी जिक्र है, और एक जगह ''तौरेत'' को सुहुफ–ए–मूसा भी कहा गया है, इसके अलावा मुख़्तसर तौर पर ''सुहुफ–ए–ऊला'' (पिछले सहीफे) और ''जुबूरुल अव्वलीन'' (पहलों की किताबों) का भी जिक्र है।

इस्लाम की तालीम ये है कि इन सब किताबों पर ईमान लाया जाए, और इनको अल्लाह की किताबें समझा जाए, इसके बिना कोई मुसलमान, मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह की किताबों पर इस इजमाली (संक्षिप्त) अकीदे के साथ अल्लाह की आखिरी और मुकम्मल किताब कुरआन मजीद पर तफ्सीली (विस्तृत) ईमान जरूरी है, कि इसका एक एक अक्षर अल्लाह की तरफ से उतारा गया है, और वो ठीक ठीक उतरा भी है–

अनुवादः– ***''और ठीक ठीक हमने उसे उतारा भी है और ठीक ठीक ही वो उतरा भी है। (अल–इसराः 105)***

अल्लाह तआला ने दोनों बातें इरशाद फरमाईं ,फिर तीसरी बात जिसका यकीन जरूरी है वो ये बात है कि अकेले ये वो किताब है जिसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है, इरशाद होता है–

अनुवादः– ***''हमने ही इस नसीहत वाली (किताब) को उतारा है और यकीनन हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। (अल–हिज्रः 9)***

इस किताब के अलावा दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं, जिसके मानने वालों को ये दावा हो कि ये किताब पूरी तरह सुरक्षित है, हर किताब बदल चुकी और इंसानी हाथों ने बेदर्दी के साथ उन पर ऑपरेशन का अमल किया, और अपनी अपनी

शेष पृष्ठ..21..पर..

पिछले अंक से आगे

भारत के अतीत में मुस्लिम शासकों की धार्मिक निष्पक्षता

सैय्यद सबाहुद्दीन अब्दुर्रहमान

मूर्ति पूजा का विश्लेषणः—

उसने अपनी किताब में यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि मूर्ति पूजा हिन्दू जनता की रीति है। कुलीन हिन्दू इससे बरी हैं। वह लिखता है जो व्यक्ति मुक्ति मार्ग का चाहने वाला है या जिसने शास्त्रार्थ और तर्क का अध्ययन किया और वास्तविकता को जानना चाहा है, जिसको यह लोग सार कहते हैं, वह अल्लाह के अतिरिक्त हर दूसरी चीज़ की उपासना से पाक है बनाई हुई मूर्ति की उपासना क्या करेगा? इसके समर्थन में गीता का यह वाक्य प्रस्तुत किया है कि बहुत से लोग अपने लाभ के लिए मेरे अतिरिक्त दूसरों के माध्यम से पुण्य हासिल करना चाहते हैं और मेरे सिवा के लिए इसका माध्यम बनाते हैं, हम उन लोगों को ऊर्जा और क्षमता देते हैं और उनके उद्देश्य तक पहुँचा दें इसलिए उनसे बेनियाज़ हैं। अपने इन विचारों के बावजूद उसने सामान्य ज्ञान के लिए मूर्ति पूजा का इतिहास, मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर की मूर्तियों, राम, विष्णु, बलदेव, ब्रह्मा, इन्द्र महादेव, बुद्ध, रेवन्त, सूरज, सात माताओं आदि की मूर्तियों का विवरण बहुत शोध और विस्तार से लिखा है जिसको लिखने में अपमान का कोई निशान नहीं है।

शूद्रों के साथ दुर्व्यवहार पर अल बैरूनी का दुखः—

अल बैरूनी का दिल तो हिन्दुस्तान के उस वर्ग के लिए भी बहुत नर्म व कोमल रहा जिसको शूद्र कहा जाता है। लिखता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के अतिरिक्त दूसरों को, जिनके लिए वेद सीखना तक संभव नहीं है, मुक्ति नहीं मिल सकती। उनके शोधकर्ताओं का कथन है कि मुक्ति उन वर्गों को पूरी मानवता के लिए सामान्य है। शर्त यह है कि उन लोगों में मुक्ति प्राप्त करने का पूरा संकल्प पैदा हो जाए। उसके प्रमाण में व्यास का यह कथन है कि 25 बातों को विश्वास के साथ जान लो, फिर जो धर्म चाहो अपनाओ निश्चित रूप से मुक्ति पाओगे और इस तर्क से भी कि वासुदेव शूद्र की नस्ल से आया था और वासुदेव ने अर्जुन से कहा था कि अल्लाह बिना किसी पर अत्याचार किये या किसी से प्रेम रखे, बदला देता है, यदि आदमी भले कर्म में अल्लाह को भूल जाये तो वह उस काम को बुरा बना देता है और बुरे काम में वह याद रहे और भूल न जाए तो उसको नेक बना देता है, यद्यपि करने वाला वैश्य या शूद्र या औरत हो। ब्राह्मण और क्षत्रिय होने पर तो नेक बना ही देगा।

जात—पात के भेद से शूद्र को निम्न स्थान दिया गया है उससे भी अल बैरूनी को दुख रहा, जिसको उसने यह लिख कर दूर किया है कि यह सारा भेद—भाव पद और स्थान की कमी या अधिकता का परिणाम है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को अधीन बना लेता है। अन्यथा वासुदेव ने मुक्ति के लिए कहा कि बुद्धिमान के दृष्टिकोण में ब्राह्मण और चंडाल, मित्र और शत्रु, अमानतदार और ख़यानत करने वाला, साँप और नेवला बराबर हैं और हर बुद्धि सबको बराबर ठहराती है तो भेद और श्रेष्ठता अज्ञानता द्वारा पैदा की हुई है।

अलबैरूनी की बुद्धिमानीपूर्ण और न्यायप्रिय शैली:–

अल बैरूनी ने हिन्दू धर्म के किसी पहलू को बुरी दृष्टि से देखने की कोशिश नहीं की है। इसीलिए उसको इस धम्र की किसी बात से मतभेद कहीं–कहीं हुआ है तो उससे न स्वयं अलग होता है और न अपने पाठकों को अलग करने की कोशिश करता है। बल्कि अपना मतभेद बुद्धिमानी और न्याय के आधार पर प्रकट करता है जिसमें शास्त्रार्थ का रंग नहीं पैदा होने पाया है। वह हिन्दुओं के उच्च श्रेणी के दार्शनिक, गणितज्ञ और खगोलशास्त्री होने का समर्थक है। उसको हिन्दुस्तान के दर्शन से भी दिलचस्पी रही। वह हिन्दुओं के दर्शन को यूनानियों, पारसियों, यहूदियों , ईसाइयों और सूफ़ियों के दर्शन से तुलना करता है और कहीं–कहीं तो हिन्दुओं की बुद्धि और विवेक का प्रशंसक हो कर अपने विचारों को बहुत मेहनत और गहराई में मिलाप करने की कोशिश करता है। वह हिन्दुओं की नक्षत्र विद्या और खगोल के साथ उनके उद्योग और हस्तकला का भी प्रशंसक रहा। फिर हिन्दुओं के नहाने के तालाबों का उल्लेख करते हुए लिखता है कि इस कला में हिन्दुओं को पूरा सिद्धहस्त प्राप्त है, मुसलमान जब उनके तालाबों को देखते हैं तो दंग रह जाते हैं और ऐसे तालाब बनाना तो दरकिनार उनका विवरण देने में भी बेबस हो जाते हैं।

हिन्दुस्तान की सामाजिक दशा के अध्ययन में प्रेम का वातावरण:–

अल बैरूनी की किताब में हिन्दुओं की सामाजिक दशा का भी बहुत ही सुन्दर विश्लेषण है जिसमें प्रेम और समझने–समझाने का बहुत अच्छा अंदाज़ है। इन्हीं बातों से प्रभावित हो कर प्रोफ़ेसर सुनिती कुमार चटर्जी ने लिखा है:

''वह अपने धार्मिक विश्वास की वजह से ऐसे लोगों की अनदेखी करना पसंद नहीं करता जो दूसरे माहौल और वातावरण में फले और फूले। उसकी यह उदारता और भेदभाव से दूरी ऐसा गुण है जिसके लिए हिन्दुओं को उसका आभारी होना चाहिए और बौद्धिक संसार भी उसका आभारी है उसकी यह अच्छाई, उसकी योग्यता से अधिक मूल्यवान है।

अल बैरूनी ने हिन्दू और मुसलमानों की दूरी कम करने की कोशिश में अरबी जानने वालों के लिए संस्कृत से, और संस्कृत वालों के लिए अरबी से किताबों का अनुवाद भी किया जिनकी एक लम्बी सूची है। इन्हीं में पातंजलि और दुराहमेहर की किताब ''लखो जातम'' का भी अनुवाद किया।

क़ानून–ए–मसऊदी में हिन्दुस्तान के बहुमूलय पत्थरों और उनके शहरों के अंक्षास और देशान्तर का बहुत विवेकपूर्ण अध्ययन है। इससे इस देश से प्रेम का प्रदर्शन होता है।

अल बैरूनी ने हिन्दूओं के सामाजिक जीवन का भी बहुत न्यायप्रिय चित्रण किया है। इससे यह भी अनुमान होगा कि आज से लगभग 1000 वर्ष पहले हिन्दुस्तान का जो सामाजिक ढाँचा था उसमें से अब तक क्या चीज़ें उसी तरह बची हुई हैं और किन–किन चीज़ों में परिवर्तन हुए हैं।

अल बैरूनी पहले तो हिन्दुओं पर सामान्य टिप्पणी करते हुए लिखता है कि वह दूसरों को मलेच्छ अर्थात अपवित्र समझते हैं। अपवित्र समझने के कारण उनसे मिलना–जुलना, शादी ब्याह करना, उनके निकट जाना या साथ बैठना और साथ खाना वैध नहीं समझते। अल बैरूनी ने इसके हानिकारक पहलुओं की ओर यह लिख कर संकेत किया है कि इस तरह हिन्दुओं में किसी व्यक्ति को जो उनकी क़ौम से नहीं है। और उनमें प्रवेश करने की इच्छा और उनके धर्म की ओर झुकाव रखता है, उसे अपने अन्दर सम्मिलित करने की बिल्कुल अनुमति नहीं है।

.....ज़ारी.....

❖❖❖

दाख़िली दुश्मन खारिजी दुश्मन से ज़्यादा ख़तरनाक

मौलाना डॉ0 सईदुर्रहमान आजमी नदवी

उमूमन इन्सान की यह आ़दत और ख़सलत रही है कि वह अपने दुश्मन को अपने वजूद के बाहर की दुनिया में तलाश करता है और उसे अपने अन्दरून में मौजूद और अपने सर पर सवार रहने वाला ख़तरनाक़ दुश्मन नज़र नहीं आता, यक़ीनन शैतान इन्सान का खुला हुआ दुश्मन है जैसा कि इरशादे बारी है–

अनुवादः ***ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों के पीछे मत चलो (यानी शैतान की पैरवी न करो) क्योंकि वह तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है।***

(अल बक़रह :168)

दूसरी जगह इरशाद है–

अनुवादः ***शैतान तो इन्सान का खुला हुआ दुशमन है। (यूसुफः 5)***

चूंकि शैतान न दिखने वाली मख़लूक है इसलिए हक़ीक़तन उसका कोई ज़ाहिरी और महसूस वजूद नहीं है बल्कि वह तो इस क़दर लतीफ़ है कि इन्सान के खून में दौड़ता है और उसके हर तरह के बुरे कामों को बना संवार कर उसके सामने पेश करता है और कुफ्र व शिर्क और इन्सानी आदाब के क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने पर आमादा करता है बेचारा इन्सान उसके हुक्म की इत्तिबाअ़ करके नाफरमान बन्दा बन जाता है और गुनाहों और मुनकरात में लत पत हो जाता है मगर यही शैतान क़यामत के दिन इन्सान से दस्तबरदार हो जाएगा और कहेगा मैं तुम से बरी हूँ मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया ''शैतान तो इन्सान की रगों में खून की तरह दौड़ता है।''

कुछ ऐसा ही मुआमला इब्लीस का इन्सान के साथ है जो उसे नाफरमानियों पर उभारता है, माल व ज़र और जाह व मन्सब का लालच दिलाता है फिर उसे हक़ की राह से फिसला देता है और जब वह उस के धोखे में आकर उसके लालच में फंस जाता है और जब उसके झूठे वादों पर भरोसा कर लेता है तो उसे बेयार व मददगार छोड़ देता है यही चीज़ उसमें सब्र व सबात ईमान व यकीन और सिराते मुस्तकीम इख़्तियार करने के खिलाफ शदीद रद्देअमल पैदा कर देती है, ऐसे मौके पर वह इस बात की परवाह नहीं करता कि वह जानवरों की तरह खाता पीता है, शैतानों की मानिन्द खुशी से इतराता फिरता है और फिर वह इतना बेराह हो जाता है जिसे कुर्आन ने यूं बयान किया है–

अनुवादः ***''उनके दिल ऐसे हैं जिनसे नहीं समझते और उनकी ऐसी आँखें हैं जिन से नहीं देखते, और उनके कान ऐसे हैं जिनसे नहीं सुनते यह लोग चौपाओं की तरह बल्कि यह उनसे भी ज़्यादा गुमराह हैं यही लोग गाफिल हैं।***

(आराफः 179)

यानी उनमें हक़ समझने और हक इख़्तियार करने की

सलाहियत खत्म हो जाती है। इन्सानों की इस जमाअत पर जो तारीख के हर दौर में रही है सातवीं सदी हिज्री के एक बड़े आलिम और आरिफ बिल्लाह शैख़ जलालुद्दीन रूमी का यह कौल सादिक आता है जो उन्होंने पस्ती में जा गिरे इन्सानों के तअल्लुक से फरमाया था: ''वह इन्सानों की सी शक्ल व शबाहत रखने वाले हैं मगर वह इन्सान नहीं बल्कि नफ़्स के गुलाम और शहवतों के पुजारी हैं, वह पेट पालने वाले शहवत में जानवरों जैसी आदत के रस्या हैं यही वह लोग हैं जिन पर रोटी की हुकूमत चलती है और शहवतों ने उन के ज़मीर को मुर्दा कर दिया है।''मौलाना रूमी ने अपने दीवान में इसी तअल्लुक से एक लतीफ़ वाकिआ नक़्ल किया है वह फरमाते हैं ''बीती रात मैं ने एक बूढे शख़्स को मशअ़ल लिए शहर का चक्कर लगाते हुए देखा जैसे उसे किसी चीज़ की तलाश हो मैंने पूछा जनाब आप क्या ढून्ढ़ रहे हैं? उसने कहा मैं दरिन्दों और चौपाओं की ज़िन्दगी से उक्ता गया हूँ और तंग आ चुका हूं मैं एक अजीम, जरी, शेर जैसे इन्सान की तलाश में हूँ मेरा दिल उन काहिलों और बौनों से तंग आ गया है जिन्हें मैं अपने इर्द गिर्द पाता हूँ, मैंने कहा जिस को आप तलाश कर रहे हैं उसे पाना मुश्किल है क्यों कि मैंने खुद उसे एक अर्से तक तलाश किया लेकिन कामयाब न हो सका उसने कहा मैं ऐसी ही चीज़ के तलाश करने का शैदाई हूँ जो आसानी से हासिल न होती हो।

इस वाकिये से अगर सातवीं सदी हिज्री की इन्सानी सूरते हाल की तस्वीर कशी होती है तो पन्द्रहवीं सदी हिज्री के मुतअल्लिक़ आप का क्या खयाल है? जब कि इन्सान ने अख़लाक़ी मूल्यों को फरामोश कर दिया यानी वह अच्छे स्वभाव छोड़ चुका है और शैतान अपनी तमाम चालों के साथ इन्सान के दिल व दिमाग़ पर छा गया है और भलाई और फरमाँ बरदारी और एहसान शनासी के उन तमाम रास्तों को बन्द कर दिया है जिनसे इस्लाम ने हम को अवगत कराया था और हमें बुरी सोच और अख़लाक़ी बीमारियों से निकाला था, और हमें उन लोगों की सफ़ में ला खड़ा किया था जिन्होंने ईमान व अक़ीदा और इताअ़त व फरमाँबरदारी की एक उम्दा मिसाल क़ायम की और आलमे इन्सानियत को जिन्दगी के इन्सानी तरीक़े से नवाज़ा और उनको एहतिरामे नफ़्स, सआदत, इन्सानियत और उस अज़ीम अमानत के आला मकासिद की एक नई दुनिया तश्कील देने की तौफ़ीक़ मिली जिसको अल्लाह ने आसमान व ज़मीन और पहाड़ों के सामने पेश किया लेकिन उन्होंने उसकी अज़मत की वजह से यह जिम्मेदारी क़बूल करने से इन्कार कर दिया और माज़िरत (आपत्ति) पेश कर दी, इन्सान ही उस अमानत को उठाने का ज़्यादा हक़दार था लिहाज़ा उसने अल्लाह तआला के महज़ एक इशारे पर उस अमानत की जिम्मेदारी को अपने सर ले लिया और उसकी वजह से मुस्तक़्बिल से ग़ाफिल और अंजाम से बेखबर रहा, गोया यह उस ज़िम्मेदारी की अज़मत से नावाकिफ था और

उसे क़बूल करके खुद पर ज़ुल्म किया यानी अपने ऊपर भारी बोझ लाद लिया, इरशादे बारी तआला है–

अनुवादः ***''हमने अपनी अमानत को आसमानों पर, ज़मीन पर और पहाड़ों पर पेश किया लेकिन सबने उसके उठाने से इन्कार कर दिया और डर गये मगर इन्सान ने उसे उठा लिया वह बड़ा निडर और नादान है।'' (अहजाबः 72)।***

यहीं से दो किस्म के इन्सान की तस्वीर नज़र आती है, एक वह शख़्स है जो अपने अन्दर के दुश्मन की परवरिश करता है उसे अच्छी गिज़ा फराहम करता है उसे ताक़तवर बनाता है और उसे इसका एहसास तक नहीं होता, कि उसका दुश्मन खुद उसके अन्दर जगह बनाए हुए है, जहाँ से वह उसके तमाम अंग–अंग पर छा जाता है लिहाज़ा उससे सादिर होने वाला हर अमल उसी दुश्मन के वसवसे का नतीजा हुआ करता है और दूसरा शख़्स वह है जो जानता है कि शैतान को अपनी सरगर्मियों में बड़ी चाबुक दस्ती और महारत हासिल है वही बुन्यादी फराइज़ और इस्लाम की मुकर्रर की हुई हदों की पामाली के रास्ते को हमवार करता है उसके नतीजे में फराइज़ की अदायगी में कोताही, इकरामे मुस्लिम से लापरवाही, हुकूक़ की पामाली की शक्ल में नज़र आता है और इन्सान को हर तरह की बुराई में मुब्तला कर देता है जिससे इन्सान का रास्ता ईमान व अकीदा, ताक़त व फरमांबरदारी और खैर व भलाई के मुकाबले में नफ़्स की चाहतों से ज़्यादा क़रीब हो जाता है लिहाज़ा लोग उसकी बुराइयों से महफूज़ नहीं रहते हैं चुनांचि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया ''हक़ीक़ी मुसलमान वह है जिस की ज़बान और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज़ रहें और हक़ीक़ी मुहाजिर वह है जो बुरे कामों से दूर रहे और फरमाया जो दुनिया में दो रुख़ा होगा क़यामत में उसकी आग की दो ज़बानें होंगी, एक दफा का वाकिआ है कि एक मोटे ताज़े आदमी का आपके पास से गुज़र हुआ, आपने फरमाया कि यह उन्हीं में है और एक दूसरी हदीस में वारिद हुआ है मुनाफिक़ की तीन अलामतें हैं जब बात करे तो झूठ बोले, और जब वादा करे तो वादा ख़िलाफ़ी करे और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो ख़ियानत करे, मज़ीद एक चौथी अलामत है कि जब झगड़ा करे तो गाली दे।

मुसलमानों की ज़िन्दगी और मुस्लिम समाज का सरसरी तौर पर जाइज़ा लेने से यह बात वाज़ेह हो जाती है कि वह किन बुराइयों में मुब्तला हैं। यह सिर्फ अवाम के साथ नहीं बल्कि उलमा भी इसमें मुब्तला हैं। उनके अन्दर बहुत से अख़्लाक़ी अमराज़ पैदा हो गये हैं इस बीमारी के नतीजे में आज मुसलमान जिस इख़्तिलाफ व अदावत और गिरोह बन्दी का शिकार हैं वही बहुत है लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती बल्कि यहां तक पहुंच गई है कि ईमानी भाई चारा भी बाक़ी नहीं रहा, हर शख़्स एक दूसरे से बिला किसी शरई जवाज़ के महज़ बुग्ज़ व हसद की बुनियाद पर इख़्तिलाफ करता है और यह

इख़्तिलाफ इतना शदीद होता है कि पहले तो रंजिश और कशा कशी का सबब बनता है फिर दोनों के दर्मियान एक गहरी रंजिश पैदा कर देता है और यह तफ़्रीक़ (जुदाई) आखिरी दर्जे को पहुंच जाती है और न खत्म होने वाले समाजी रोगों को जन्म देती है और हमारे समाज में यह सब कुछ पाया जाता है जिसकी वजह से उम्मते मुस्लिमा को आज तरह तरह की जिल्लत व रुस्वाई का सामना करना पड़ रहा है।

हमारी तमन्ना है कि मुसलमानों के उच्च श्रेणी के लोगों के बीच एक पुख्ता और मजबूत एकता पैदा हो जाए फिर उसका असर आम मुसलमानों की तरफ मुन्तकिल हो उसके बाद उन लोगों तक पहुंचे जो इस्लाम को सन्जीदगी की नज़र से देखते हैं और सूरते हाल का तकाज़ा भी यही है कि हम अपने तमाम अक्वाल व अफआल का एक बुलन्द व बेहतरीन नमूना पेश करें जिसे देखने के लिए लोग बेचैनी से इन्तिज़ार कर रहे हैं।

"ऐ ईमान वालो तुम वह बात क्यों कहते हो जो करते नहीं और तुम जो करते नहीं उसका कहना अल्लाह तआला को सख़्त ना पसन्द है। (सफ्फः 3)

उच्च श्रेणी के लोगों में बाज ऐसे भी हैं जिन की अख़लाक़ी तरबीयत नहीं हो सकी और दीनी तालीम का ज़रूरी हिस्सा भी नहीं मिला जिस का नतीजा यह हुआ कि उनकी परवरिश आजादाना तौर पर हुई और अख़लाक़ी कद्रो में पुख़्तगी हासिल न हो सकी और ज़िन्दगी में एक मुसलमान की जिम्मेदारियों को वह न समझ सके लिहाज़ा यह तबका बिला किसी जायज़ वजह के गुस्से की आग में जल रहा है इस्लामी आदाब व अख़्लाक़ पर नाराज़ है और आला अ़कदार व रिवायात को मलयामेट कर रहा है और मुआ़शरे में खाराबियों का सबब और उसके बिगाड़ की वजह बन गया है जैसा कि बहुत सी जगहों में ऐसी मिसाल मौजूद है कि लोग अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने वाला कोई अमल नहीं कर पाते, दर हक़ीकत उनके जमीर मर चुके हैं या उन्होंने चन्द सिक्कों और ठेकरों के बदले उसे बेच दिया है और आखिरत की फिक्र और अल्लाह के सामने हिसाब व किताब का तसव्वुर उनके दिलों से खत्म हो गया है। अल्लाह तआ़ला ने फरमाया ***"वह समझते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं।***

(कहफः 103)

और फरमाया ***"काफिर आपस में एक दूसरे के रफीक़ हैं अगर तुमने ऐसा न किया तो मुल्क में फित्ना होगा और ज़बरदस्त फसाद बरपा हो जाएगा। (अनफालः 73)***

तो क्या इस मुहलिक मर्ज का कोई इलाज है? या फिर इसे यूं ही छोड़ दिया जाए कि पूरा इन्सानी मुआशरा इसका शिकार हो जाए।

ऐ ईमान वालो उन लोगों जैसे न बन जाओ जिन्होंने मूसा अ0 को तक्लीफ दी पस जो बात उन्होंने कही थी (यानी जो ऐब निकाला था) अल्लाह ने उन्हें उससे बरी फरमा दिया और वह अल्लाह के नज़दीक़ बा इज्ज़त थे। (अहजाबः 69)

❖❖❖

इल्म और मुसलमान

डॉ0 हा0 हारून रशीद सिद्दीक़ी रह0

इस्लाम ने हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ किया है। जिस की दलील यह हदीस है "तलबुल् इल्मि फ़रीज़तुन अ़ला कुल्लि मुस्लिमिन (मुस्लिम)" (इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज़ है चाहे वह मर्द हो या औरत)। इस्लाम नाम ही है अल्लाह और उसके रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में ज़रूरी मालूमात हासिल करके अल्लाह के बारे में ईमान लाने का, जो शख्स ईमान लाता है वह इसका इल्म रखता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद (पूज्य) नहीं और इसकी गवाही देता है, इसी तरह वह जानता है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल हैं वह रसूल का मतलब भी समझता है और गवाही देता है कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यह तौहीद व रिसालत का इल्म चाहे इजमालन (सारांश में) हो चाहे तफ़्सीलन (विस्तार से) बहुत ही ऊँचा और आला इल्म है जिससे गैर मुस्लिम महरूम हैं। लिहाजा जिहालत और ईमान दोनों जमा नहीं हो सकते।

हदीस शरीफ में जो इल्म का हासिल करना फर्ज़ बताया गया है वह आकिल बालिग़ मुसलमान (मर्द और औरत) पर फर्ज़ बताया गया है। सवाल यह है कि वह कौन सा इल्म है जो फ़र्ज़ है और उसकी मिकदार क्या है?

एक मुसलमान जब यह मान और जान लेता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा किसी की इबादत जाइज़ नहीं तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वह जाने कि इबादत क्या है, और गैर की इबादत से क्या मतलब है ताकि वह उससे बचे, ज़ाहिर है इन मालूमात के लिए उसके पास अपने तौर पर कोई ज़रिआ़ नहीं, अल्लाह ने अपने फज़्ल से जिसके ज़रिए ला इलाह इल्लल्लाह सिखाया उसी के ज़रिए अपनी इबादत और गैर की इबादत का तआरुफ (परिचय) भी कराया। यह जानना ज़रूरी हुआ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह की तरफ से जो तालीमात हमारे लिए लाए हैं हम उनको सीखें, उन का इल्म हासिल करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 23 सालों तक अल्लाह की तालीमात उम्मत को पहुंचाते रहे, जिसमें अल्लाह का कलाम कुर्आन मजीद है और आपकी हदीसें हैं।

उम्मत पर यह फर्ज़ है कि यह सारी तालीमात (कुर्आन व हदीस) को हासिल करे और उसकी हिफ़ाज़त करे और उसको बराबर आगे मुन्तकिल करता रहे अगर्चि इन तालीमात की ख़ास तौर से कुर्आन शरीफ की हिफ़ाजत का अल्लाह ने खुद ज़िम्मा लिया है और वह इसी तरह होगा कि लोग उसको हासिल करते और आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन यह काम उम्मत पर फ़र्ज़ किया गया, मगर यह फ़र्ज़ फ़र्ज़े ऐन नहीं है, फ़र्ज़े किफ़ाया है कि उम्मत के कुछ लोग अदा करते रहेंगे तो यह काम सब की तरफ़ से हो जाएगा। लेकिन इस पूरे इल्म से कुछ इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है जिसे हम ज़रूरियाते दीन का इल्म कहते हैं। यही इल्म हर मुसलमान (मर्द–औरत) जो बालिग़ हो चुक है उस पर फ़र्ज़ है। आज उम्मत में कितने भाई हैं जो आक़िल बालिग़ हैं मगर यह नहीं जानते कि उन पर कौन सा इल्म फर्ज़ है और उसके बिना मरने के बाद की ज़िन्दगी में क्या होगा? बल्कि वह तो मरने के बाद की

ज़िन्दगी ही के बारे में कुछ नहीं जानते। ऐसी हालत में जो दीन का इल्म रखते हैं उन पर फर्ज़ है कि ऐसे भाइयों से मिलें और उनको आखिरत की ज़िन्दगी के बारे में बताएं और उन तक ज़रूरियाते दीन का इल्म पहुँचाएं।

यह फरीजा हर दीनदार का है जैसे भी हो इस फरीज़े की अदाएगी के बिना नजात मुश्किल हो जाएगी। देखा यह गया है कि इनफ़िरादी तौर पर पूरा एहसास रखने के बावजूद हर दीनदार से अदा नहीं हो पाता, उसकी शक्ल यह होना चाहिए कि सियासी मक़ासिद से अलग हो कर जो जमाअत यह काम कर रही हो उसके साथ मिल कर इम्कान भर यह काम करें। मेरे नज़दीक तब्लीग़ी जमाअत यह काम अच्छे तौर पर अंजाम दे रही है उसके साथ मिलकर यह काम करते रहना चाहिए। कुछ लोग तालीमात में पढ़ी जाने वाली बाज़ कमजोर रिवायात का बहाना लेकर उससे दूर रहते हैं। और लोगों को दूर रखने की कोशिश करते हैं, अल्लाह उन्हें समझ दे अगर आपको कमज़ोर अहादीस का इल्म है तो आप उन्हें कमज़ोर समझें लेकिन जमाअत से जो उमूमी फ़ाइदा हो रहा है उसमें रुकावट तो न बनें। फिर जमाअत के ज़िम्मेदारों ने खुद ही फजाइल आमाल की जगह मुन्तख़ब अहादीस नामी किताब लिख दी है, जमाअ़त के लोगों को चाहिए कि तालीम में उसी को पढ़ें ताकि बुरा चाहने वालों का मुँह बंद हो सके।

ज़रूरियाते दीन–कल्म–ए–तय्यिबा और कल्म–ए–शहादत अरबी में याद हो, फिर उनके माने भी ज़ेहन में उतारें, ईमाने मुजमल व मुफस्सल अरबी में याद करें और उनके मानी भी ज़ेहन में बैठाएं। पाकी–नापाकी, नजासत वगैरह का इल्म जिनका रोज़ की ज़िन्दगी से साबिक़ा रहता है उनका इल्म हो।

वुज़ू और उससे मुतअल्लिक तमाम ज़रूरी बातें, गुस्ल और उससे मुतअल्लिक तमाम बातों का इल्म हो।

अज़ान व इकामत के कलिमात याद हों, कुर्आन मजीद की कुछ सूरतें ज़बानी याद हों जिनसे नमाज़ अदा की जा सके। पूरी नमाज़ अच्छी तरह सीखें, उसमें पढ़े जाने वाले कलिमात, तस्बीहात, तशह्हुद, दुरूद, दुआएं वगैरह ज़बानी याद हों। वित्र पढ़ने के लिए दुआए कुनूत याद हो, नमाज़े जनाज़ा पढ़ने का तरीक़ा और उसकी दुआएं याद हों।

रोज़े के ज़रूरी मसाइल, जक़ात का निसाब और ज़कात के ज़रूरी मसाइल याद हों।

हज कब फर्ज़ होता है कम से कम इतना मालूम हो। रोज़ी कमाने के लिए कौन सा पेशा नाजाइज़ है यह मालूम हो, कौन से जानवर हलाल हैं और उनके ज़ब्ह करने का तरीक़ा क्या है मालूम हो। यह वह ज़रूरी उलूम हैं जिनके हासिल किये बिना इस्लामी ज़िन्दगी नहीं गुज़ारी जा सकती। ज़िन्दगी की तमाम ज़रूरियात में इस्लामी तालीमात क्या हैं इसके लिए चाहिए कि उलमा से सम्पर्क बनाये रखें। अल्लाह तआला हम सब को अपनी मरज़ीयात पर चलाए, आमीन।

रहे दुनियावी उलूम तो इस दुनिया में रहने के लिए उनका इल्म भी ज़रूरी है लेकिन उसके लिए जो कुछ आज कल हो रहा है उससे हमारे पाठक अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं, और कोई भी अपनी वुसअत के मुताबिक दुनियावी उलूम व फुनून हासिल करने में कोताही नहीं करता, इस सिलसिले में मैं कोई तरगीब नहीं देता, हमारे सामने दुनियावी उलूम व फुनून हासिल करने में जो मुश्किलात हैं उनका बयान बे फ़ाइदा है लेकिन कुछ इशारा किया जाता है। जहाँ तक मुफ्त तालीम का निजाम है उसमें वज़ीफ़ा पाने वाले तलबा का वज़ीफ़ा महकमें से भारी तनख़्वाह पाने वालों की मज़ीद आमदनी का जरीआ है, दोपहर की खिचड़ी में कितनी बार अख़बार में आया कि कहीं छिपकली तो कहीं झींगुर निकला,

साफ–सुथरा खाना अपने बच्चों को तो माँ ही दे सकती है। स्कूल के लापरवाहों को इस की क्या परवाह। जहाँ तक तालीमी मेयार का मसला है अगर वहां अच्छी तालीम मिलती तो उनसे ज़्यादा तादाद में इंग्लिश मीडियम स्कूल बन्द हो जाते। दुनियावी तालीम दो तरह की होती है, एक तो वह जो ज़रूरियाते ज़िन्दगी में मदद करते हैं जैसे हिसाब और समाजी उलूम, दूसरे वह जिनसे रोटी का मामला हल होता है, जो कम से कम बी0ए0 करके ट्रेनिंग वगैरह की जाऐ इसमें जो मुश्किलात है सब पर ज़ाहिर हैं, इससे बेहतर है कि बिज़नेस, इंजीनियरिंग, मेडिकल वगैरह की तालीम हासिल की जाए अगर्चे इसमें सिर्फ दौलत वाले ही हाथ डाल सकते हैं, जहाँ तक कॉलेजों में सिक्रेट्रीएट में और सरकारी महकमों में क्लर्की हासिल करना है तो आप फर्स्ट डिवीज़न में बी0ए0, एम0ए0 करने पर भी नहीं पा सकते, सिवाय इसके कि किसी मंत्री, एम0पी0, एम0एल0ए0 के क़रीबी रिश्तेदार हों, लिहाज़ा वह मुसलमान जो एम0बी0ए0, बी0यू0एम0एस0, और इंजीनियरिंग करने के लिए दौलत नहीं रखते उनको चाहिए कि अपने लड़कों को जैसी कोई ऐसा हुनर सिखाएं, जिससे वह नौकरी के बिना अपना काम करके हलाल रोज़ी कमा सकें या तिजारत में लगें।

मेरी जानकारी में जहाँ मुसलमान हैं वहां दीनी सेंटर भी हैं जो नाबालिगों को ज़रूरियाते दुनिया भी सिखाते हैं और ज़रूरियाते दीन भी। अब यह उनकी ज़िम्मेदारी है कि वह बालिग़ होने पर ज़रूरियाते दीन के फ़र्ज़ इल्म व अदब को बाक़ी रखें। अल्हम्दुलिल्लाह दीनी मदारिस (दारुल उलूम वगैरह) दीन के फर्ज़े किफाया वाला इल्म देकर उम्मत के बोझ को हलका कर रहे हैं, अल्लाह इन दीनी मकातिब व मदारिस को बाकी रखे।

आमीन!

❖❖❖

पृष्ठ.12... का शेष

समझ और जरूरतों के एतिबार से उनमें बदलाव करते रहे, और कोई किताब ऐसी नहीं है जो उस भाषा में मौजूद हो जिस भाषा में उस को अल्लाह की तरफ से उतारा गया, सिर्फ और सिर्फ कुरआन मजीद की विशेषता है इस को अरबी ज़बान में जिस तरह उतारा गया था वो उसी तरह से सुरक्षित है, और क़यामत तक सुरक्षित रहेगी और अगर बदलेगी तो पूरी दुनिया बदल जाएगी, अल्लाह तआला फ़रमाता है–

अनुवादः– ''इसको सुरक्षित करना और पढ़ना हमारे जिम्मे है, फिर जब हम (जिब्रईल की जबानी) इसको पढ़ें तो आप इसके पढ़ने के साथ साथ पढ़ते रहें, फिर खोल खोल कर बयां करना भी हमारे ज़िम्मे है।

(अल–कियामः 17 –19)

और ये भी इरशाद फरमाया–

अनुवादः– ''और वो तो एक बहुत ही बुलंद किताब है, उस पर झूठ का गुजर नहीं सामने से न पीछे से, उस की तरफ से उतारी गई है जो हिक्मत रखने वाला तारीफ के लायक़ है।

(हा मीम अल–सजदा 41–42)

एक मुसलमान के लिए जिन चीजों पर ईमान ज़रूरी है उन में अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना है, और खास तौर पर कुरआन मजीद के बारे में तीन बातों का यकीन करना और उस को तस्लीम करना, एक ये कि वो अल्लाह की तरफ़ से आख़िरी नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उतारा गया, और दूसरे ये कि ठीक ठीक उसी तरह से उतरा जिस तरह उतारा गया, और तीसरे ये कि क़यामत तक इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, वो जिस तरह से उतरा है उसी तरह क़यामत तक बाक़ी रहेगा।

❖❖❖

क्या है जी०एम० फूड?

इं0 जावेद इक़बाल

जी०एम० फूड (जैनेटिक मोडिफाइड) अर्थात वह आधुनिक तकनीक जिस के द्वारा फल शाक भाजी तथा अन्न संबंधी सभी फसलों के बीजों में वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा उनके डी० एन० ए० में तब्दीली कर दी जाती है। इस से फसलों को अधिक उपजाऊ बनाना कीड़ों मकोड़ों से सुरक्षित रखना, सड़ने गलने से बचाना संभव हो सका है ।

डी० एन० ए० क्या है इसे भी समझते चलें, यह प्रत्येक जीव की कोशिकाओं की वह संरचना होती है जो प्रत्येक जीव में भिन्न होती है और उसके पूरे वंश यानी नस्लों में समान होती है इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुणों की विभिन्नता निर्धारित होती है, और उसके वंश की पहचान होती है।

फसलों के बीजों में डी० एन० ए० की इस संरचना को बदल दिया जाता है और इस तब्दीली के लिए विभिन्न प्राणियों की कोशिकाओं को आपस में मिलाकर नई संरचना को जन्म दिया जाता है। मिसाल के लिए टमाटर में सुअर की कोशिकाओं को मिला कर टमाटर को अधिक उपजाऊ और टिकाऊ बनाया जा सकता है। इंसान के दूध की कोशिकाओं को चावल की कोशिकाओं में मिला कर चावल की क्वालिटी को बेहतर बनाने के प्रयोग किए गए हैं। इस तरह के अनेकों प्रयोग करके अनेक फसलों की मूल विशेषताओं में परिवर्तन करना अब संभव हो गया है। दुनिया भर में इन प्रयोगों का ज़बरदस्त विरोध हुआ है और हो रहा है। विरोध का कारण यह है कि इन तब्दील शुदा जींस वाली फसलों के खाने से स्वयं इंसान के स्वभाव एवं उसकी जींस के प्रभावित होने की आंशका है, जिसके नतीजे में हो सकता है कि इंसान की इंसानियत ही प्रभावित हो जाये, तबाह हो जाये, और उस पर हैवानियत सवार हो जाये। इसके अतिरिक्त इन जी0एम0 फूड को खाने से अनेक नए नए रोगों के फैलने का भी खतरा है। कैंसर जैसी भयानक बीमारी के फैलने की बहुत आशंका जताई जा रही है।

जी0एम0 फूड को भारत में अनुमति दिए जाने के विषय पर लगभग बीस वर्ष से विचार किया जा रहा था। उस समय के दो कृषि मंत्री इसकी अनुमति दिए जाने को खारिज कर चुके थे। फिर यह मामला कोर्ट पहुंचा मगर वहां भी सफलता नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विधि पर दस वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया था। जिसके कारण सरकार इस संबंध में कुछ न करने के लिए विवश थी परन्तु इस वर्ष जैसे ही यह प्रतिबंध हटा, एक कमेटी गठित करके यह मामला उसके सुपुर्द कर दिया गया। शीघ्र ही इस के पक्ष में कमेटी की रिपोर्ट आई और भारत सरकार ने चार फसलों पर इस विधि को लागू करने की स्वीकृति दे दी। यह चार फसलें हैं तिलहन, विशेष कर सरसों, आलू, केला और रबर। कपास पर तो पहले से अनुमति थी क्योंकि वह खाद्य पदार्थों में नहीं आती। इस समय रबर भी खाद्य पदार्थों में शामिल नहीं है मगर वर्तमान अनुमति में आलू, सरसों और केला का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति करता है, विशेषकर मध्यम वर्ग और गरीब जनता तो इन्हीं चीजों पर निर्भर है।

जैनेटिक परिवर्तन करते समय कुछ ऐसे जीन्स भी बीजों में शामिल किए जाते हैं जिनके प्रभाव से फसलों पर लगने वाले कीड़े पौधों या वृक्षों पर हमला नहीं कर पाते, वे इन खेतों से दूर ही दूर रहते हैं। शामिल किए जाने वाले यह जीन्स किसी भी पशु या उसके दूध या चर्बी इत्यादि से प्राप्त किए जाते हैं। इतना ही नहीं इस विधि के उपयोग से प्राप्त फसलों में न कीड़ा लगता है और न वह सड़ते गलते हैं।

जी०एम० विधि के इन फायदों के कारण अधिक उपज तो होती ही है, जो इन परीक्षणों का मूल उद्देश्य है। इसी कारण विभिन्न देशों की सभी सरकारें इस विधि से की जाने वाली खेती को बढ़ावा देना चाहती हैं। मगर इसके अनेक नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो यह ही है कि इस विधि से उगाए गए खाद्य पदार्थों के उपयोग से पाचन क्रिया प्रभावित होती है और फिर तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। दूसरा बड़ा नुकसान यह है कि यदि कोई किसान इस फसल का कुछ भाग सुरक्षित रख कर बीज के रूप में प्रयोग करना चाहे तो नहीं कर सकता, उसको पुनः कम्पनी का बनाया हुआ बीज ही खरीदना पड़ेगा। जिस का मूल्य कम्पनियां स्वयं मनमाने ढंग से निर्धारित करेंगी। इतना ही नहीं यदि कोई किसान जी०एम० फूड की खेती नहीं करना चाहेगा तो वह अपने पुराने तर्ज की खेती नहीं कर सकेगा क्योंकि उसके निकट जी०एम० फूड की खेती करने वाली फसलों पर कीड़े जा नहीं सकते, चारों ओर से वे कीड़े इस पुरानी तर्ज की फसलों पर हमला कर देंगे जिसके कारण इस किसान की देसी फसल तबाह हो जायेगी। दुनिया भर में यों तो इस विधि के उपयोग का विरोध हो रहा है मगर उद्योगपतियों के प्रभाव में चलने वाली सरकारें उनके हितों के सामने जनता के हितों पर ध्यान ही कब देती हैं ।

जी०एम० फूड का प्रचलन अमेरिका, योरोप जैसे देशों में खूब हो रहा है। इस विधि से उगाए गए फलों व सब्जियों से अनेक अन्य खाने की चीजें बनाईं जाती हैं जो कि पूरी दुनिया में निर्यात की जाती हैं। ज़ाहिर है कि भले ही कोई देश अपनी सीमाओं के भीतर जी०एम० फूड की खेती पर प्रतिबंध लगाए रखे मगर दूसरे देशों से आयात निर्यात पर कहां तक प्रतिबंध लगायेगा।

मिसाल के तौर पर अमेरिका का सेब दुनिया भर में बड़े शौक से खाया जाता है, मगर हक़ीक़त यह है कि वह जी०एम० विधि से उगाया जाता है वर्षों तक वह ख़राब नहीं होता और किसी प्रकार का कीड़ा भी उसमें नहीं लगता। मगर दूसरी ओर जी एम विधि से उगाया गया सेब हमारी पाचन क्रिया को या शरीर के किसी अन्य अंग को प्रभावित करके हमें किसी बीमारी में मुब्तला कर सकता है।

दूध और दूध से बने अन्य उत्पाद को ही लें। हमारे देश में गायों के दूध देने की क्षमता बहुत ही कम है व्यापारिक दृष्टि से गायों का पालन पोषण घाटे का सौदा समझा जाता है। तो फिर इतने बड़े देश और बड़ी आबादी वाले देश में दूध दही घी पनीर मक्खन आदि की आपूर्ति क्या केवल अपने देश में पैदा होने वाले दूध से संभव है? स्पष्ट है कि दूध और दूध से बने अन्य उत्पाद का आयात अन्य देशों से बड़े पैमाने पर किया जाता है। अमेरिका सहित अनेक योरोपीय देशों में गायों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए उनकी नस्लों को भी जैनेटिक विधि से दूषित किया जा चुका है। जैनेटिक बदलाव का किसी को अधिकार नहीं है, यह प्रकृति की संरचना से खिलवाड़ करने और उसमें दख़ल देने के समान है। इसे हम दज्जाली फ़ितना भी कह सकते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में जी०एम० विधि के खिलाफ़ विरोध प्रकट किया जा रहा है ।

भारत में पिछले बीस बाइस वर्ष से जैनेटिक परिवर्तन विधि को खुली छूट देने के प्रयास चल रहे हैं और अभी हाल में ही तिलहन, आलू, केला और रबर के लिए भारत सरकार ने अनुमति दे दी है लेकिन अन्य देशों से आने वाले अनेक उत्पाद जो इस विधि से उगाई गई फसलों से बनाए जा रहे हैं देश में आम तौर पर आयात किए जा रहे हैं। इसीलिए वर्तमान काल में डायबिटीज, हार्ट अटेक और कैंसर जैसी बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। मगर आम जनता क्या कर सकती है। उसे तो तरह तरह के विज्ञापनों द्वारा इन चीज़ों का पहले ही शैदाई बना दिया जाता है। अब इन उत्पादों से बचना किसी भी देश में आसान नहीं रहा और अब तो भारत सरकार की नई अनुमति के बाद हमारे देश में भी इन से बचना असंभव हो जायेगा। क्योंकि आलू, तेल, केला का ताल्लुक तो हर व्यक्ति के मुख्य भोजन से है ।

❖❖❖

आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं

जमाल अहमद नदवी
(उप सम्पादक)

दुनिया में सिर्फ एक चीज़ है जिस पर तमाम इंसानों, और हर मज़हब व अक़ीदे के मानने वालों और न मानने वालों, यहाँ तक कि अल्लाह के वजूद का इंकार करने वालों और अंबिया अलै0 और उनकी इज़्ज़त व आबरू पर उंगली उठाने और आलोचना करने वालों ने भी जिस चीज़ पर इत्तिफ़ाक़ किया है वह है मौत।

यह ऐसी वास्तविकता है जिससे हर एक को वास्ता पड़ता है और दुनिया जब से क़ायम है हर एक को वास्ता पड़ता चला आ रहा है इस लिए किसी के अन्दर इसके इंकार की जुर्रत नहीं, अल्लाह का इरशाद है कि ''हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है'' (सूरः अंकबूत–57)। एक दूसरी आयत में अल्लाह का इरशाद है कि ''जो कुछ इस ज़मीन पर है वह मिटने वाला है और सिर्फ आपका पालनहार बाकी रहेगा, जो बड़ी इज़्ज़त वाला और दयावान है''

(सूरः रहमान– 26–27)

इस फानी और खत्म होने वाली दुनिया से हर रोज़ जनाज़े उठते हैं हर दिन किसी के बाप किसी के भाई, बहन और किसी के करीबी अज़ीज़, और किसी के अपने लख़्ते जिगर और किसी के अपने करीबी दोस्त के मौत की ख़बरें आती हैं लेकिन कभी अचानक आने वाली मौतें वह होती हैं जो इंसान के पूरे वजूद को हिला कर रख देती हैं और उसके होश व हावास को उड़ा देती हैं।

9 जनवरी 2023 की सुब्ह जैसे ही ''फारग़ीन नदवा दिसम्बर 98 (जो हमारे सहपाठियों का whatsapp ग्रुप है) पर यह ख़बर आई कि हम सबके हर दिल अज़ीज़ और महबूब दोस्द अरशद आजमी नदवी अब हमारे बीच नहीं रहे, बे अख़्तियार ज़बान से ''इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन'' जारी हो गया और आँखें आँसुओं से डबडबा आईं। इस ख़बर ने मुझे ही नहीं ग्रुप के हर मिम्बर को सकते में डाल दिया, किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है पूरे ग्रुप पर मातम का समां बंध गया और हर आँख रो पड़ी, हर दिल ग़मज़दा हो गया, हर एक एक दूसरे को सिर्फ सब्र की तलक़ीन कर रहा था और यह जानने की कोशिश कर रहा था कि यह हादसा कब हुआ? कैसे हुआ? कहाँ हुआ? और हर एक अपने अपने एहसासात और उनके साथ गुज़ारे औकात और लम्हों को याद करके और शेयर कर के एक दूसरे की तसल्ली के सामान फराहम कर रहा था, कल तक जो उनसे बातें करके अपने गमगीन मन को राहत व आराम पहुंचाते थे वह आज उदास और गमगीन मन और बोझल दिल–दिमाग़ से उनकी बातों को याद करके और उनकी नेकियों का ज़िक्र करके अल्लाह से उनके लिए दुआ–ए–मग़फिरत कर रहे थे और अरशद भाई थे भी ऐसे कि उनकी नेकियों का तज़किरा बार बार किया जाये और अपनी तसल्ली का सामान किया जाय।

अरशद भाई माशाअल्लाह हाफिज़े कुर्आन थे, कुर्आन की तिलावत उनका रोज़ाना का मामूल था, वह तिलावत बड़े अच्छे अंदाज़ में किया करते थे, कुर्आन से उनके लगाव का असर था कि पिछले रमज़ान के मौक़े पर उन्होंने सारे मोबाईल ग्रुप को ख़ैर बाद कह दिया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कर सकें और अपने अल्लाह को राज़ी कर सकें, इसका इज़हार उन्होंने स्वयं एक आडियो के ज़रिए किया था। नदवतुल उलमा से 98 में फ़ारिग़ होने के बाद ही रिज़्के हलाल की तलाश में मुम्बई चले गये और वहीं कारोबार करते थे। कारोबार में अल्लाह ने ख़ूब बरकत अता फरमाई जिसका उन्होंने सही इस्तेमाल भी किया, इन्तिक़ाल के दिन भी वह अपने वतन से मुम्बई ही जा रहे थे और प्लेन पर ही उनकी तबीयत ख़राब हुई, भाई अरशद ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी

बीमारियों से ग्रसित थे और आये दिन परेशान रहते थे, लेकिन तमाम परेशानियों और मुश्किलात को हंसते मुस्कुराते बर्दाश्त करने के आदी थे, हर समय हंसना मुस्कुराना उनकी फितरत में शामिल था एयरपोर्ट से ही उनको हास्पिटल ले जाया गया लेकिन वह सेहतयाब न हो सके और हम सबको गमज़दा छोड़ कर अपने मालिक ह़क़ीक़ी से जा मिले।

अल्लाह का इरशाद हैः ऐ वह जान जो चैन पा चुकी है, अपने पालनहार की ओर इस प्रकार लौट जा कि तू उससे राज़ी व ख़ुश हो वह तुझसे राज़ी व खुश, बस मेरे विशेष बंदों में सम्मिलित हो जा, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा।

(सूरः फज्र–23–30)

अरशद आज़मी बड़े ही नेक, ज़िनदा दिल, ज़हीन, पारदर्शी और समझदार इंसान थे, वह जहाँ होते उनकी अलग ही आन बान शान होती, उनकी सोच व फिक्र बड़ी दूरगामी थी, अपने दूर व करीब के अज़ीज़ों, दोस्तों के दुख दर्द में बराबर शरीक़ रहते और हर संभव उनकी मदद को अपना फरीज़ा समझते, बड़े ही इल्म दोस्त थे, और दीनी इदारों, मस्जिदों मदरसों में काम करने वालों को बड़ी रश्क़ की निगाह से देखते थे, अल्लाह व रसूल को राज़ी व खुश करने का जज़्बा उनके अन्दर कूट–कूट कर भरा था और कोई ग़लती हो जाती तो फौरन तौबा व इस्तिग़फ़ार करते, इसी तरह अगर दोस्तों या अज़ीज़ों की हक तलफी का एहसास हो जाता तो तुरंत उसकी ओर ध्यान देते उससे माफी तलाफी करते और अगर बात बनती न दिखाई देती तो दूसरे साथियों को फोन करते और अपनी ग़ल्ती का एतिराफ करते हुए माफी तलाफ़ी का प्रयास करते, इन बेशुमार खूबियों के मालिक थे हमारे अरशद भाई।

अरशद की मौत का यह हादसा जिस कम उमरी में और अचानक पेश आया उसका किसी को वह्म व गुमान भी न था, अल्लाह का इरशाद है ''बेशक अल्लाह का निर्धारित समय जब आ पहुँचे तो उसको टाला नहीं जा सकता'' (सूरः नूह–4)।

यह हादसा हम सबको एक पैग़ाम भी दे गया कि दुनिया की कोई हक़ीक़त नहीं और हममें से हर एक को हर वक़्त मौत की तैयारी करते रहना चाहिए, ग़फ़लत की ज़िन्दगी से तौबा करना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल के आदेशों के पालन को अपना कर्तव्य समझना चाहिए, हम सब दुआ करें कि अल्लाह उनके सभी घर वालों को इस सद्मे को बर्दाश्त करने की ताक़त व कूव्वत अता फरमाये और उनके बच्चों की तालीम व तर्बियत का अच्छा इन्तिज़ाम फरमाये और मरहूम दोस्त को जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमाये। आमीन!

आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं
सामन सौ बरस का है पल की ख़बर नहीं

❖❖❖

पृष्ठ .37.. का शेष

18. मौलाना मुफ़्ती अशरफ़ क़ासमी उज्जैन।
19. मुफ़्ती इक़्बाल अहमद क़ासमी कानपुर।
20. मौलाना वलीउल्लाह मजीद क़ासमी, मऊ।
21. मौलाना मुहम्मद उस्मान बस्तवी, जौनपुर।
22. मौलाना मुफ़्ती मक़सूद अली फुरकानी रामपुर।
23. मौलाना ख़ुर्शीद अहमद आज़मी, बनारस।
24. मौलाना ज़हीर अहमद आज़मी, कानपुर।
25. मौलाना उमर आबिदीन मदनी, हैदराबाद।
26. मौलाना अब्दुर्रशीद कासमी, कानपुर
27. मौलाना रहमतुल्लाह नदवी, लखनऊ।
28. मौलाना क़मरुज़्ज़मा नदवी, प्रतापगढ़।
29. मौलाना डॉ0 नसरुल्लाह नदवी, लखनऊ।
30. मौलाना डॉ0 मुहम्मद अली नदवी, लखनऊ।
31. मौलाना मुहम्मद साबिर हुसैन नदवी, करनाटक।
32. मौलाना सलमान अनवर क़ासमी, मऊ।
33. मौलाना इक़राम अहमद नदवी, लखनऊ।

❖❖❖

आपके प्रश्नों के उत्तर

–मुफ़्ती मुहम्मद ज़फर आलम नदवी

प्रश्न: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नाम के वसीले से दुआ़ मांगना कैसा है?

उत्तर: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के वसीले से दुआ़ मांगना दुरुस्त है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक सहा़बी को इस तरह दुआ़ मांगने की तअ़लीम दी है।

प्रश्न: गाँव में जुमे की नमाज़ दुरुस्त है या नहीं?

उत्तर: वह छोटा गाँव जिसमें ज़रूरियाते ज़िन्दगी का सामान न मिलता हो तो उस छोटे गाँव में अह़नाफ़ के नज़दीक जुमे की नमाज़ जायज़ नहीं ज़ुहर पढ़ें, लेकिन फ़ुक़हा–ए–किराम फ़रमाते हैं कि अगर कहीं जुमा पहले से क़ायम है तो उसे ख़त्म न किया जाए।

प्रश्न: क़ब्र में द़फ़्न के वक़्त कोई सामान रह जाए तो क़ब्र खोद कर सामान निकालाना दुरुस्त है या नहीं?

उत्तर: क़ब्र में अगर कोई क़ीमती सामान या ज़रूरी काग़ज़ात वग़ैरह रह जाएं तो क़ब्र खोद कर उस का निकालना जायज़ है।

प्रश्न: औरत का कफ़न किसके ज़िम्मे है?

उत्तर: औरत का कफ़न अगर उस का शौहर मौजूद है तो शौहर के ज़िम्मे है जिस तरह उस का नान व नफ़्क़ा शौहर के ज़िम्मे है अलबत्ता अगर शौहर का इन्तिक़ाल पहले ही हो चुका हो या शौहर का तअ़ल्लुक़ शरअ़ी तौर पर ख़त्म हो चुका हो तो दूसरे क़रीबी वली पर उसका कफ़न होगा।

प्रश्न: किसी शख़्स ने नमाज़ में ग़लती से ''इन्नल अबरार लफ़ी नअ़ीम'' के बजाए ''इन्नल अबरार लफ़ी जहीम'' पढ़ दिया तो नमाज़ होगी या नहीं?

उत्तर: मज़्कूरा (उक्त) ग़लती से नमाज़ न होगी नमाज़ दुहराना पड़ेगी।

प्रश्न: क्या जुमे के खतीब (नमाज़ से पहले ख़ुत्बा पढ़ कर नमाज़ पढ़ाने वाला) को तन्ख़्वाह देना दुरुस्त है?

उत्तर: जुमे के खतीब की तन्ख़्वाह को उलमा ने जायज़ क़रार दिया है।

प्रश्न: क्या दाढ़ी मुंडाना जायज़ है? कुछ लोग कहते हैं कि दाढ़ी रखना सुन्नत है, दाढ़ी मुंडाने से सिर्फ़ सुन्नत छूटेगी।

उत्तर: हाँ दाढ़ी रखना सुन्नत है लेकिन ऐसी सुन्नत है कि एक सहाबी ने भी यह सुन्नत न छोड़ी, पस दाढ़ी रखना तो शिआ़रे इस्लाम है, इस्लाम की पहचान है, दाढ़ी मुंडाना बहुत बड़ा गुनाह है, जो लोग इस गुनाह को सिर्फ़ सुन्नत छोड़ना कह कर हल्का करने की कोशिश करते हैं वह भी बड़ा गुनाह करते हैं, हदीस है ''फमन रग़िब अ़न् सुन्नती फ़लैस मिन्नी'' (जिसने मेरी सुन्नत से मुंह फेरा वह मेरी जमाअ़त से नहीं) पस हर मुसलमान को दाढ़ी रखना चाहिए हर जवान को दाढ़ी रखना चाहिए यह तो मर्द होने की निशानी है। दाढ़ी मर्दों ही को तो निकलती है। फ़रमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ''दाढ़ी बढ़ाओ, मोछें छोटी कराओ।''

प्रश्न: रसूलों और नबियों की तादाद क्या है?

उत्तर: दुनिया में कितने नबी और कितने रसूल आये, यह बताना मुश्किल है इसलिए कि ख़ुद अल्लाह ने अपने नबी से फ़रमा दिया कि ''कुछ रसूलों के क़िस्से हम ने तुम को बता दिये और कुछ नहीं बताए''। यह भी

बता दिया कि हर क़ौम में हादी (पथ प्रदर्शक) भेजे गये हैं। तारीख़ी रिवायतों से पता चलता है कि एक लाख से ज़ियादा नबी और रसूल आये। क़ुर्आने पाक में हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अलावा पचीस नाम और आए हैं।

प्रश्न: कुछ लोग नमाज़ में पैर बहुत फैलाते हैं, कुछ पैर टेढ़े मेढ़े रखते हैं नमाज़ में पैर किस तरह होना चाहिए?

उत्तर: नामाज़ में किब्ला रुख होना ज़रूरी है, इस तसव्वुर के साथ खड़े होना चाहिए कि हम अल्लाह तआला के सामने खड़े हैं, जितना अदब मुमकिन हो उसको अमल में लायें, अच्छा यही है कि दोनों पैर सीधे हों, बीच में चार छः अंगुल फासला हो, लेकिन अगर कोई ज़्यादा पैर फैलाता है या ऐड़ियों की तरफ कम और पंजों की तरफ ज़्यादा फासला रखता है या पंजा टेढ़ा कर देता है तो इससे नमाज़ में फर्क नहीं आता, अगर महसूस हो कि खड़े होने में अदब मलहूज नहीं रहता तो हमदर्दी से समझाना चाहिये, महज एतिराज का लहजा इख़्तियार करके अपने से दूर न करना चाहिए, अगर कोई अहले हदीस मसलक पर अमल करते हुए ज़्यादा पैर फैलाता है तो उसे टोकना न चाहिए कि वह अपने नज़दीक दीनी एतिबार से सही कर रहा है।

प्रश्न: नमाज़ में किसी किस्म की आवाज़ निकालने का क्या हुक्म है?

उत्तर: नमाज़ में जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं उनके अलावा किसी किस्म की आवाज़ न निकालना चाहिए, अगर किसी के जवाब में कोई आवाज़ निकाली जैसे सलाम का जवाब दिया, या छींक पर किसी की अलहम्दुलिल्लाह के जवाब में यरहमुकल्लाह कहा तो नमाज खराब हो गई उसे फिर से पढ़े, अलबत्ता क़ुर्आन का कोई लफ्ज़ खुद से निकाला जैसे अल्लाह या सुब्हानल्लाह कहा तो नमाज़ खराब न होगी मगर चाहिए ये कि नमाज़ में, पढ़े जाने वाले कलिमात के अलावा दूसरे कल्मे न निकाले जाएं।

प्रश्न: नमाज़ में ज़ोर से आमीन कहना कैसा है?

उत्तर: नमाज़ में सूर–ए–फातिहा के बाद आमीन कहना नबी सल्ल0 से साबित है, इमाम मालिक इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल और अहले हदीस हजरात के नज़दीक आवाज़ से आमीन कहना साबित है और इमाम अबू हनीफा के नज़दीक आहिस्ता आमीन कहना साबित है, लेकिन अगर कोई हनफी ज़ोर से आमीन कह दे तो उसकी नमाज़ खराब न होगी।

मेरा अपना ख्याल यह है कि नबी सल्ल0 ने इतनी आवाज़ से आमीन ज़रूर कही कि बगल वाले ने सुनी, तभी तो जाना कि नबी सल्ल0 ने आमीन कही, लिहाजा अच्छा यह है कि बहुत चिल्ला कर आमीन न कहें, मगर इतनी आवाज़ से जरूर कहें कि बगल वाला सुन ले, अगर सारे मुक़तदी इस हल्की आवाज़ से आमीन कहेंगे तो एक संजीदा आवाज़ से मस्जिद गूँज जाएगी, लेकिन अगर खूब चिल्ला कर आमीन कहेंगे तो तेज़ आवाज़ से मस्जिद गूँजेगी। बहर हाल आपस में इत्तिफाक जरूरी है। जोर और आहिस्ता आमीन के झगड़े को हरगिज़ न उठाना चाहिये।

प्रश्न: सफर में जो नमाज़ें कज़ा हो जाएं और वह मुकीम होने पर पढ़ी जाएं तो पूरी पढ़ी जाएंगी या क़स्र पढ़ी जाएंगी?

उत्तर: सफर की कजा नमाजें जब अदा की जाएंगी तो चाहे कस्र की हालत में अदा करे या मुकीम होने की हालत में कस्र ही पढ़ी जाएंगी, इसी तरह कियाम की कज़ा नमाजें चाहे सफर में अदा करे या कियाम की हालत में पूरी पढ़ी जाएंगी।

❖❖❖

–पिछले अंक से आगे

मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य

नजमुस्साक़िब अब्बासी नदवी

भारत के संविधान का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की आज़ादी सुनिश्चित करना है, जिसको प्राप्त करने के लिये संविधान में विविध प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इन सबके सम्बन्ध में अनुच्छेद 19 को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है।

जैसा कि पहले भी गुज़रा कि संविधान के अनुच्छेद 19 में भारत के नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं दी गई थीं, इनमें छठी स्वतंत्रता सम्पत्ति की स्वतंत्रता थी मगर 44वें संशोधन द्वारा समपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ–साथ सम्पत्ति की स्वतंत्रता भी ख़त्म कर दी गई और अब नागरिकों को 19वें अनुच्छेद के अंतर्गत केवल 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं।

विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताः–

देश के सभी नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने, भाषण देने और अपने तथा दूसरों के प्रचार की आज़ादी दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसमें शामिल है। ज्ञात हो कि मूल संविधान में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्षेत्र बड़ा विस्तृत और व्यापक था और अपमान लेख और वचन, न्यायालय अपमान, शिष्टाचार अथवा सदाचार पर आघात को राज्य की सुरक्षा के हित में ही सीमित किया जा सकता था मगर रमेश थापर व मद्रास राज्य के विवाद ने राज्य को इसमें चिंतन–मनन का अवसर प्रदान किया।

अतः संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी को और संकुचित कर दिया गया, अब राज्य जिन कारणों से अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगा सकता है, वह इस प्रकार हैः–

राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय अपमान, मानहानि या अपराध के लिए उत्तेजित करना। आगे 1963 ई के 16वें संशोधन द्वारा स्वतंत्रता पर एक और प्रतिबन्ध लगा दिया गया कि अब कोई व्यक्ति भारत राज्य में किसी भाग को अलग करवाने को प्रचार करे तो राज्य के द्वारा उसके विचार और अभिव्यक्ति को सीमित किया जा सकता है।

1975 में इमरजेंसी के दौर में प्रेस द्वारा संसद और राज्य विधान मंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई थी मगर बाद में 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ये व्यवस्था दी गई कि प्रेस को संसद और राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के प्रकाशन से रोका नहीं जा सकता।

अस्त्र–शस्त्र रहित और शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रताः–

देश के नागरिकों द्वारा शांतिपूर्वक अपने विचारों के प्रचार–प्रसार के लिये बिना हथियारों के सभा–सम्मेलन, जुलूस–प्रदर्शन आदि करने की स्वतंत्रता है लेकिन ये स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है बल्कि राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रख कर ऐसे आयोजनों की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है।

समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रताः–

सभी नागरिकों को संविधान में संघ–सोसायटी बनाने की आज़ादी दी गई है, साधरण जनता की सुरक्षा को ध्यान में रख कर उन पर राज्य प्रतिबन्ध लगा सकता है क्योंकि इस आज़ादी की ओट में व्यक्ति ऐसे संघ का निर्माण कर सकता है जो साज़िश रचे या शांति–व्यवस्था को खतरे में डाल दे।

सम्पूर्ण भारत में बिना रोकटोक आने–जाने की स्वतंत्रताः–

सभी नागरिकों को बिना किसी प्रतिबन्ध और विशेष अधिकार पत्र के पूरे भारत में घूमने–फिरने की आज़ादी है मगर यहाँ भी राज्य आम जनता और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों को ध्यान में रख कर उन पर आवश्यकतानुसार पाबंदी लगा सकता है।

सम्पूर्ण भारत में निवास की स्वतंत्रताः–

देश के सभी नागरिक अपनी इच्छा और आवश्यकतानुसार अस्थायी या स्थायी रूप से किसी भी स्थान पर रह सकते या आबाद हो सकते हैं मगर यहां भी आम जनता और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के हित में राज्य उन पर उचित प्रतिबन्ध लगा सकता है।

रोजी–रोटी कमाने, कारोबार करने और रोज़गार प्राप्त करने की स्वतंत्रताः–

देश के सभी नागरिकों को जीविका कमाने, रोजगार पाने और कारोबार करने की भारत में स्वतंत्रता है मगर राज्य जनता के हितों को ध्यान में रख कर उनकी स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबन्ध लगा सकता है, इसके अतिरिक्त ये भी है कि राज्य किसी कारोबार के लिये उसके प्रति आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है या किसी कारोबार के कल– कारखाने को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अपने नियंत्रण में ले सकता है।

प्रोफेसर के.टी. शाह ने 19वें अनुच्छेद में सीमित की गई स्वतंत्रता पर अपनी राय रखते हुए कहा था कि ''वास्तव में 19वें अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गयी ये स्वतंत्रता संदेहपूर्ण हो गई हैं कि इन स्वतंत्रताओं की खोज करने के लिए दूरबीन का प्रयोग आवश्यक हो जाता है'' उपरोक्त उदाहरण किसी प्रकार और किसी समय सही ठहराये जा सकते हैं मगर सच्चाई ये भी है कि एक सभ्य समाज के लिये एक निश्चित दायरा और पैमाना बनाये बिना उसे चलाया नहीं जा सकता है।

अपराध की दोष सिद्ध के विषय में (अनुच्छेद 20):–

इस अनुच्छेद में कहा गया है कि "किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू कानून का उल्लंघन न किया हो"। इसके अतिरिक्त ये भी है कि किसी अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार सजा दी जा सकती है और व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने हेतु मजबूर नहीं किया जा सकता।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा (अनुच्छेद 21):–

इस अनुच्छेद में जीवन जीने के अधिकार की स्वतंत्रता दी गई है और कहा गया है कि "किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़ कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता"।

हालांकि 44वे संवैधानिक संशोधन (1979) के माध्यम से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को और अधिक महत्व प्रदान किया गया कि अब आपातकाल में भी जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त अथवा सीमित नहीं किया जा सकता है।

कैदी होने की अवस्था में संरक्षण (अनुच्छेद 22):–

इस अनुच्छेद में कैदियों को भी कुछ अधिकार दिये गये हैं, इसमें है कि किसी व्यक्ति को उसके अपराध के बारे में बताए बिना अथवा बन्दी बनाये जाने के कारणों को बतलाए बिना उसे अधिक समय तक जेल या बन्दीगृह में नहीं रखा जा सकता, उसे वकील से मश्वरा करने और अपने बचाव का प्रबंध करने का अधिकार प्राप्त होगा और 24 घण्टे के भीतर उसे निकटतम जज के सामने पेश करना होगा। ध्यान योग्य बात है कि ये अधिकार 2 प्रकार के व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे, एक शत्रु देश के निवासियों पर दूसरे निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ़्तार व्यक्ति पर।

.....जारी.....

क़तर ने इस्राईली प्रोपेगण्डे का उन्मूलन कैसे किया?

अब्दुल अज़ीज़

2013 ई0 में फ़ीफ़ा ने फैसला किया था कि अगला फुटबाल वर्ड कप क़तर में होगा, फ़ैसले के बाद ही से इस्राईल, अमरीका और अन्य इस्लाम विरोधी देशों ने इस फ़ैसले के विरुद्ध पूरी ताक़त से प्रोपेगण्डा शुरु कर दिया था, ऐसा भयावह प्रोपेगण्डा कि अमरीका और अन्य देशों की सीधी साधी जनता को चिन्ता हो गई कि वह फुटबाल वर्ड कप देखने कैसे जाएं? इस्लाम दुशमन मीडिया ने मुसलमानों के आतंकवादी होने का ख़ूब दुष्प्रचार किया और क़तरी शासन और वहां की जनता को आतंकवाद से जोड़ने की हर मुम्किन कोशिश की, दुनिया को मालूम है कि इस्राईली और अमरीकी मीडिया कितना शक्तिशाली है, इसके विपरीत मुस्लिम मीडिया या इस्लामी मीडिया का जो हाल है और जो कमज़ोरियाँ हैं उसे भी दुनिया भलीभांति जानती है।

क़तर अरब क्षेत्र का एक बहुत ही छोटा देश है। अल–जज़ीरा न्यूज़ चैनल क़तर ही का है, लेकिन अन्य जो बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं जैसे बीबी0सी0, सी0एन0एन0 आदि का अकेला अल–ज़ज़ीरा मुक़ाबला नहीं कर सकता, इस्लाम विरोधियों के हाथों में अनगिनत टीवी चैनल्स हैं अख़बार और मैग्ज़ीन भी अनगिनत हैं, इस्लाम और मुसलमानों के विरुद्ध, इस्लाम विरोधी देशों में अनगिनत फिल्में बनाई जाती हैं इन देशों में दौलत की रेलपेल है, उन सबका क़तर जैसा एक छोटा सा देश मुक़ाबला कर लेगा, शुरु शुरु में कल्पना करना भी असंभव था, विरोधी देशों को तो इस्लाम के आकर्षण और क़तरी शासन की बुद्धिमत्ता का तो एहसास हो गया होगा, लेकिन हमें सन्देह है कि मुस्लिम देश और मुस्लिम अवाम इस वास्तविकता से बहुत कम अवगत होंगे कि क़तर ने अपने विरुद्ध, कैसे विजय प्राप्त की।

क़तर अरब देशों ही में नहीं, बल्कि दुनिया के अन्य मुस्लिम देशों में भी इस्लाम से ज़्यादा करीब है। दुनिया का सबसे उत्तम संगठन इख़्वानुल मुस्लिमीन का प्रभाव भी क़तरी शासन और जनता पर पाया जाता है। अल्लामा यूसुफ अल क़रज़ावी जिनका निधन कुछ समय पहले हुआ, वह अगरचि क़तर के शासक नहीं थे लेकिन अमीरे क़तर अल्लामा से बहुत प्रभावित थे। अल्लामा इख़्वानुल मुस्लिमीन के बड़े ज़िम्मेदारों में थे, मिस्र के रहने वाले थे, दुनिया के कुछ गिने चुने उलमा में से एक थे, मेरे ख़याल में इस समय उनके मुक़ाबले में कोई और आलिम नज़र नहीं आता। दुनिया की अधिकांश भाषाओं में उनकी किताबों का अनुवाद हो चुका है, उर्दू ज़बान में भी उनकी कई किताबें पाई जाती हैं। क़तरी शासन ने फ़ीफ़ा वर्ड कप 2022 ई0 की तैयारी के लिए सात, आठ बड़े और ख़ूबसूरत स्टेडियम बनाए, हाइवे को ठीक किया मस्जिदों में ऐसे मुअज्ज़िन और इमाम नियुक्ति किए गये जिनसे इस्लाम के प्रति आकर्षण आम हो, और ग़ैर मुस्लिम इस्लाम से प्रभावित हों और उनके दिलों में इस्लाम को जानने की इच्छा पैदा हो, दुनिया भर के अच्छे उलमा को अपने छोटे से देश में आने की दावत दी, उनके ज़रिये और अपने देश के उलमा के ज़रिये जनसाधारण और विशिष्ट लोगों की तरबियत की, ऐसी तरबियत जिसके जरिये वह इस्लाम की सच्ची और अच्छी नुमाइन्दगी कर सकें, इस्लाम की नुमाइन्दगी क्या होती है मुसलमानों की

अधिकांश संख्या इसकी वास्तविकता से भी अपरिचित है। इस्लाम के नुमाइन्दे के लिए ज़रूरी है कि इस्लाम का अच्छा ख़ासा इल्म हो, साथ साथ इस्लाम से अच्छी और गहरी वाबस्तगी हो जिनके दाइयाना अन्दाज़ (उपदेशक शैली) से दूसरे लोग प्रभावित हों, क़तरी शासन ने साधारण और विशेष लोगों को यही वह ट्रेनिंग दी थी जिससे वहां जाने वाले लोग बहुत अधिक प्रभावित हुए, न केवल शासन ने बल्कि वहां की जनता ने विदेशी मेहमानों के साथ अच्छा व्यवहार किया। और ख़ूब उनको तोहफ़े पेश किये।

अमरीका के कुछ व्यक्तियों के एक ग्रुप का बयान है कि क़तर और क़तरी शासन के विरुद्ध प्रोपेगण्डे से वह लोग प्रभावित हो कर क़तर के सफ़र का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था, लेकिन फिर खयाल आया कि यह प्रोपेगण्डा ग़लत भी हो सकता है, चुनांचे वह जब सफ़र करके क़तर आ गये तो उन्होंने क़तर के लोगों का व्यवहार और बरताव देखा और उनकी दरयादिली देखी तो उन्होंने क़तर को उस प्रोपेगण्डे के विपरीत पाया जो मीडिया में किया जा रहा था।

कोई भी मुल्क हो उसको अपने धर्म और कलचर से प्यार और लगाव होता है, हर एक मुल्क को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने क़ानून के अनुकूल मुल्क में व्यवस्था और प्रबंध स्थापित करे, अगर क़तर ने खुले आम शराब पीने को मना किया, निर्लज्जता और नंगेपन की अनुमति नहीं दी, समलैंगिकता, व्यक्तियों को स्टेडियम में झण्डे या अपने लोगो ले जाने पर प्रतिबंध लगा दी तो कोई ग़लत काम नहीं किया।

सोशल मीडिया पर अनगिनत प्रशंसकों ने अपनी भावनाओं का इज़हार किया है। क़तर की जनता और वहां के शासन के अच्छे व्यवहार की खुले दिल से प्रशंसा की है, साथ साथ इस्लाम से अपने लगाव क़तरी शासन और वहाँ के अवाम के बरताव का भी बखान किया है, इस व्यवहार से प्रभावित हो कर सैकड़ों लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया। क़तर में मौजूद उलमा की बातचीत, उनकी तक़रीरों और बर्ताव से बेशुमार लोग प्रभावित हुए, लोगों में इस्लामी लिट्रेचर और कुर्आन मजीद तक़्सीम किये गये, इस खेल को केवल खेल तक सीमित नहीं किया गया बल्कि फ़ीफ़ा वर्ड कप को इस्लाम के प्रचार–प्रसार का ज़रिया भी बना दिया गया। यह सारा काम जानकार लोगों के मन्सूबे के अन्तर्गत सम्पन्न हुआ, एक ख़बर वायरल हुई जिसमें दिखाया गया था कि अर्धनग्न वस्त्र में एक महिला एक मस्जिद में प्रवेश होना चाहती थी, क़तर की दअ़वत देनी वाली औरतों को देखा गया कि उस महिला से बातचीत कर रही हैं। और उसे समझा रही है कि इसको मस्जिद में जाने के लिए एक दूसरा वस्त्र पहनना होगा, वह महिला राज़ी हो जाती है और कपड़े बदल लेती है, और हिजाब के साथ मस्जिद में दाख़िल होती है इस वाक़िए से ज़ाहिर होता है कि दाइयों में सिर्फ़ मर्द ही नहीं थे बल्कि औरतें भी दाइयाना रोल अदा कर रही थीं।

बहर हाल क़तरी हुकूमत ने फीफा वर्ड कप के आरम्भ से समापन तक तकरीबन 320 से 330 बिलियन डॉलर ख़र्च किये हैं लेकिन जो फ़ायदे हुए हैं उसकी तरफ़ देखा जाए तो नुक़सान कम फ़ायदे ज़्यादा हुए हैं, क़तरी हुकूमत और वहां के अवाम ने दुनिया को यह बता दिया है कि प्रोपेगण्डे की ताक़त को कैसे समाप्त किया जा सकता है और कैसे इस्लाम से दुनिया को प्रभावित किया जा सकता है।

❖❖❖

–पिछले अंक से आगे.....

घरेलू मसायल

–मौलाना मुहम्मद बुरहानुद्दीन सम्भली रह0

–अनुवादः मौ0 मु0 जुबैर अहमद नदवी

बिना माकूल वजह के तलाक़ देना गुनाह!:–

अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया– अनुवादः– ''जिन चीजों की सख़्त ज़रूरत के मौकों पर इजाज़त दी गई है, उन में तलाक़ सब से ज़्यादा ना पसंदीदा चीज़ है।

(अबू दाऊद, पृष्ठ– 312, जिल्द 1)

इसलिए फिक़्ह के माहिर हज़रात ने साफ साफ लिखा है कि बे वजह तलाक़ का इस्तेमाल सख़्त ना पसंदीदा है, मशहूर तक़्वे वाले आलिम इमाम अब्दुल वह्हाब शिइर्रानी (रह०) लिखते हैं–

अनुवादः ''शरीयत के सारे उलमा ने इस बात पर इत्तिफाक़ किया है कि बिना माकूल वजह के तलाक देना (बहुत ही) ना पसंदीदा है, और इमाम अबू हनीफा तो इसे हराम ही कहते हैं।

(अल–मीजान लिशशिइर्रानी, पृष्ठ– 146, जिल्द–2)

इसी तरह रिसर्च स्कॉलर इब्ने हुमाम (रह०) फरमाते हैं– अनुवादः ''फकीहों की बातों से ये बात साफ मालूम होती है कि (बे वजह) तलाक़ देना सख़्त मना है, इसलिए कि तलाक़ में निकाह की नेमत की ना क़द्री और (खुदा की इस अजीम एहसान की) नाशुक्रि पाई जाती है।

(फत्हुल कदीर, पृष्ठ–146, जिल्द 2)

इब्ने हुमाम दूसरी जगह फरमाते हैं–

अनुवाद– ''ज़्यादा सही यही बात है कि बगैर जरूरत के तलाक देना मना है।'' तकरीबन यही बात दुर्रे मुख़्तार में है–

अनुवादः ''और ज़्यादा सही बात यही है कि बिला जरूरत तलाक़ देना मना है। और दुर्रे मुख़्तार के मशहूर शरह लिखने वाले, अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी (रह०) ने इसी को तरजीह दी है (विवरण के लिए देखिये दुर्रे मुख़्तार, जिल्द –2, पृष्ठः 261) मशहूर हंबली आलिम इब्ने कुदामा (रह०) ने इमाम अहमद (रह०) से भी तलाक़ के ''हराम'' होने की एक रिवायत लिखी है, फरमाते हैं– क्योंकि तलाक़ मर्द व औरत दोनों के लिए नुक़सानदेह है, इसलिए इमाम अहमद की राय ये है कि, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है ''ला जरर व ला जिरार'' पति को चाहिए कि तलाक देने से पहले दूसरी तदबीरें करे मजबूरी की जिन हालतों में तलाक देने की इजाज़त दी गई है (जैसे मियाँ बीवी का मिज़ाज न मिले, कहना न मानती हो, और पति के हक को मांग पर भी सही तरीक़े पर अदा न करती हो) इनके पाए जाने की सूरत में भी फौरन तलाक देने से रोका गया है, और पहले दर्जा ब दर्जा सुधार की पूरी कोशिश कर लेने का हुक्म दिया गया है, कुरआन मजीद में अल्लाह तआला फरमाता है– अनुवादः ''तुम्हें अपनी जिन बीवियों की ना फरमानी (और बद मिजाजी से) तकलीफ पहुँचने की पूरी आशंका हो (या जिनकी तरफ़ से गुस्ताखी हुई) उन्हें (पहले जुबानी) समझाओ और (इस तरह न मानें तो ये सजा दो कि) उनसे संभोग छोड़ दो, और (कुछ समय के लिए संबंध खत्म कर लो उन पर इस का भी असर न हो तो आहिस्ते से) मारो फिर अगर वो सही रास्ते पर आजाएं) और फरमाँबरदारी

करने लगें तो अब उनके ख़िलाफ़ कोई क़दम न उठाना, यकीनन अल्लाह तआला बरतर व बड़ा है। (कि अगर तुम उनको सताओगे तो वो तुम्हें सजा देगा) (अल–निसा, आयत 34) पति के उपाय बे असर हो जाने के बाद दूसरे लोग सुधार की कोशिश करें, इस तरीके से भी हालत न बदले तो फिर पति और बीवी दोनों के हमदर्द रिश्तेदारों को बीच में डाल कर समझौता करने के लिए हर संभव कोशिश कर लेने का हुक्म दिया गया, तलाक से उस वक़्त भी रोका गया है, लिहाजा अगली ही आयत में ये भी है।

अनुवादः ''और अगर तुम डरो कि वो दोनों आपस में जिद रखते हैं तो खड़ा करो एक इंसाफ करने वाला मर्द वालों में से और एक इंसाफ करने वाला औरत वालों में से अगर ये दोनों चाहेंगे कि सुलह करा दें तो अल्लाह सहमति करा देगा उन दोनों में, बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला खबरदार है। (अल–निसा, आयत 35) गौर फरमाइये! कितने हिक्मत भरे अंदाज से (तलाक से पहले) बीवी को सही रास्ते पर लाने के उपाय बताये गये हैं कि पहला चरण समझने बुझाने का है, औरत में कजी ज़्यादा न हो, और समझदार हो तो ज़बानी सावधान करने और समझाने बुझाने ही से काम चल जाएगा, इस तरीक़े से काम न चले तो फिर ऐसी सजा दी जाए जिससे उस पर मनोवैज्ञानिक असर पड़े, यानी अस्थाई संबंध तोडना और बोल चाल बंद रखना वगैरह,ये हरबा ऐसा है कि औरत को अगर उसमें जरा भी भलाई है, और वो वाकई निबाह करना चाहती है तो ज़रूर सीधा कर देगा, लेकिन अगर ये तरकीब भी असर न करे और उसकी तुनक मिजाजी को इससे ज़्यादा सख़्त तम्बीह की ज़रुरत हो तो फिर हल्की सी मार मार कर भी देखे।

.....ज़ारी.....

❖❖❖

अपने पाठकों से

- सच्चा राही आपको कैसा लगा आप अपनी राय से अवगत करें, हम आपके पत्रों की प्रतीक्षा में रहते हैं। हम आपके सुझाओं का स्वागत करते हैं।
- हम अपने सम्मानित लेखकों से अनुरोध करते हैं कि वह सामाजिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, भौगोलिक विषयों पर अपने मूल्यवान लेख लिख कर हमें भेजें, हम आपके शुक्र गुज़ार होंगे।
- आप अपने लेख सरल भाषा में लिखें तथा विषय स्पष्ट हों, जो पाठकों को आसानी से समझ में आ सकें।
- आप सच्चा राही के नये ग्राहक बना कर हमारा सहयोग करें।
- आप अपनी आवश्यक दीनी समस्याएं लिखें हम उनके समाधान लिख कर सच्चा राही में प्रकाशित करेंगे।
- **आप अपने लेख भेजने के लिए उप सम्पादक के नं0 9450784350 का प्रयोग करें।**

दो दिवसीय फ़िक़्ही सेमिनार की रिपोर्ट

मजलिसे तहक़ीक़ात शरइया, नदवतुल उलमा, लखनऊ
विषयः कोरोना संबंधित मसायल, और सरकारी क़र्ज़ों का शरई हुक्म

मुफ़क्किरे इस्लाम हज़रत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी रह0 ने सन् 1963 ई0 में उस दौर के पेश आने वाले नये मसायल के समाधान के लिए नदवतुल उलमा में ''मजलिसे तहक़ीक़ात शरइया'' के नाम से एक संस्था स्थापित की जिसमें उस समय के चोटी के उलमा, फ़ुक़हा, मुफ़्ती साहिबान शरीक़ थे, सन् 1963 से 1971 ई0 तक इस मजलिस की ओर से तीन महत्वपूर्ण मसायल पर सामूहिक चिंतन मनन हुआ, इंश्योरेंस, और रूयते हिलाल (चन्द्र दर्शन) के विषय पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार हुआ, जबकि सरकारी कर्ज़े के विषय पर उस समय फ़ैसला नहीं हो सका।

अक्तूबर सन् 2019 ई0 में नाज़िम नदवतुल उलमा मौलाना सय्यद मु0 राबे हसनी नदवी (दामत बरकातुहुम) के आदेश पर इस मजलिस का नवीनीकरण हुआ और दारुल उलूम नदवतुल उलमा के सीनियर उस्ताज़ और नये मसायल पर गहरी नज़र रखने वाले आलिमे दीन मौलाना अतीक़ अहमद बस्तवी साहब इस विभाग के ज़िम्मेदार नियुक्त हुए, मौलाना अतीक़ अहमद बस्तवी की निगरानी में मजलिस ने दोबारा अपना काम शुरु किया, विभिन्न विषयों पर इल्मी व तहक़ीक़ी कामों के साथ नये मसायल के सामूहिक समाधान की दिशा में काम करने की व्यवस्था की गई, और इस सिलसिले की पहली कड़ी दो दिवसीय फ़िक़्ही सेमिनार का आयोजन है। इस सेमिनार के दो विषय तै किये गये, कोरोना से संबंधित मसायल और सरकारी कर्ज़ों का हुक्म।

अलहम्दुलिल्लाह 23, 24 नवम्बर 2022 ई0 को इस सेमिनार की पाँच मीटिंगें भलीभांति मुकम्मल हुईं, पूरे देश से 75 से अधिक उलमा, मुफ़्ती साहिबान और नये मसायल पर लिखने वाले नौजवान फ़ाज़िल इसमें शरीक हुए, पहली मीटिंग के बाद कोरोना के विषय पर सात बिन्दुओं पर मक़ालात पेश किये गये और सदस्यों के बीच चर्चा हुई। इसी प्रकार सरकारी क़र्ज़े के विषय पर विस्तार पूर्वक बात हुई और फिर प्रस्ताव कमेटियाँ बनाई गईं, उन कमेटियों की ओर से प्रस्तुत प्रस्तावों पर नज़र डालने के लिए देश के प्रसिद्ध फ़ुक़हा की कमेटी बनाई गई जिसमें मौलाना ख़ालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी, मौलाना उबैदुल्लाह अस्अदी, मौलाना अतीक़ अहमद बस्तवी, मुफ़्ती नज़ीर अहमद कशमीरी, मौलाना अब्दुर्रज़्ज़ाक क़ासमी देवबन्द, मुफ़्ती अख़तर इमाम आदिल कासिमी, मुफ़्ती मुहम्मद ज़फ़र आलम नदवी शामिल थे।

आख़िरी मीटिंग में प्रस्तावों की समीक्षा हुई और फिर मीटिंग में शरीक़ होने वालों की सहमति से दोनों मसायल पर प्रस्ताव पारित किये गये जो इस प्रकार हैंः

कोरोना संबंधित अहम मसायल और प्रस्ताव :–

महामारी रोग मानव इतिहास में विभिन्न ज़मानों और विभिन्न क्षेत्रों में फैलते रहे हैं और उनसे अनगिनत इन्सानों की मौतें हुईं हैं, इस महामारी ने मानव समाज पर बड़े गहरे और दूरगामी प्रभाव डाले हैं, आमतौर से महामारी रोग किसी क्षेत्र या किसी देश तक सीमित होता है परन्तु कोविड–19 कोरोना की विनाशकारी महामारी ने अतीत के सारे रिकार्ड तोड़ दिये, इस महामारी से लगभग पूरी दुनिया प्रभावित हुई और बहुत बड़ी संख्या में इंसानों की मौत हुई दुनिया का कारोबार ठप हो गया और ज़िन्दगी का हर भाग बुरी तरह प्रभावित हुआ।

इस महामारी की वजह से नये शरई मसायल पैदा हुए जिनके बारे में उलमा ने आमतौर पर व्यक्तिगत फ़त्वे जारी किए और मुसलमानों की शरई रहनुमाई की, कोरोना महामारी से पैदा होने

वाले मसायल साधारण प्रकार के नहीं थे, जिनका समाधान केवल आंशिक फ़िक़ही संदर्भ से किया जा सके, यह ऐसे हालात और मसायल थे जो पहली बार पेश आए थे और इन्सानी ज़ेहनों में इसकी कल्पना भी न थी, सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि कोरोना की संगीनी की वजह से उलमा और मुफ़्ती साहिबान का एक जगह एकत्र होना और उन मसायल पर विचार विमर्श करना संभव नहीं था, इसलिए व्यक्तिगत फ़तवे रहनुमाई करते रहे, जिसमें कई बार विरोधाभास और असहमति की स्थिति होती थी।

मजलिसे तहक़ीक़ात शरइया नदवतुल उलमा लखनऊ ने हालात का तक़ाज़ा समझ कर, कोरोना के मसायल पर सेमिनार करने का फैसला किया, कोरोना के विषय पर एक व्यापक सवाल नामा तैयार करके मुन्तखब उलमा और मुफ़्ती साहिबान की सेवा में भेजा गया, अलहमदुलिल्लाह बहुत से उलमा और मुफ़्ती साहिबान ने तहक़ीक़ और अध्ययन के बाद भेजे गये प्रश्नों के जवाबात तहरीर किये, और हालात में सुधार होने के बाद मजलिस ने 23,24 नवम्बर 2022 ई0 की तारीख़ कोरोना के मसायल पर सेमिनार के लिए तै की।

अलहम्दुलिल्लाह उन तारीखों में सेमिनार आयोजित हुआ, सेमिनार के लिए प्राप्त होने वाले मक़ालात और फ़तवे और शरीक होने वालों से आपसी विचार विमर्श के बाद इत्तेफ़ाक़े राय से निम्नलिखित तजावीज़ मन्ज़ूर हुईं।

कोरोना के बारे में शरई दृष्टिकोणः–

1. महामारी ऐसी बीमारी है जो तेज़ी से फैलती है और देखते ही देखते पूरी आबादी को अपनी चपेट में ले लेती है। अधिकतर यह जान लेवा होती है, कुर्आन हदीस में इसके इशारात साफ़ तौर पर मिलते हैं यह कभी इंसानों के दुष्कर्मों के परिणाम होते हैं, और कभी इंसानों को परीक्षा के तौर पर इस महामारी से पीड़ित किया जाता है, यह अल्लाह की ओर से चेतावनी होती है, यदि कोई इंसान इस महामारी में ग्रस्त हो जाए तो वह सहायता और सहानुभूति का पात्र है।

2. शरीअत में महामारी से बचाव के आदेश मौजूद हैं जिनमें ज़ाहिरी उपाय भी है जैसे सफ़ाई सुथराई का खयाल रखना, बिना आवश्यकता एक जगह से दूसरी जगह आने जाने से बचना, हकीम और डाक्टरों के आदेशानुसार अमल करना, और अध्यात्मिक उपाय भी हैं जिनमें तौबा, अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगना, अल्लाह से रो रो कर दुआएं करना, अल्लाह से अपने संबंध को मज़बूत करना, सद्क़ा वग़ैरा करना है।

3. महामारी से बचने के लिए किताब व सुन्नत से सामूहिक नमाज़ पढ़ने का कोई सुबूत नहीं है।

4. सेहत व बीमारी अल्लाह के हाथ में है और कोई भी इंसान अल्लाह ही के फैसले से बीमार या सेहत याब होता है लेकिन कुछ बीमारियाँ संक्रामक होती हैं, यह इस्लाम के अक़ीद –ए–तौहीद के विरुद्ध नहीं है।

5. महामारी के ज़माने में जमाअ़त के साथ नमाज़ अदा करने पर पाबनदी हो तो मस्जिदों के बजाय घरों में जमाअत के साथ या तनहा अदा की जाए।

6. महामारी के ज़माने में यदि स्वास्थ्य विशेषज्ञ का आदेश हो कि लोग बड़ी संख्या में एकत्रित न हों तो मस्जिद में पहली जमाअत के बाद जगह बदल कर कई जुमे और जमाअत की इजाज़त होगी।

7. महामारी के ज़माने में चिकित्सा और प्रशासनिक निर्देशानुसार मस्जिद की जमाअत के अलावा कई जगहों और घरों में नमाज़ जुमअः और ईदैन पढ़ना दुरुस्त है।

8. महामारी के ज़माने में जुमअः के दिन जो लोग पाबन्दी की वजह से अपने घरों में नमाज़ जुहर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए जमाअत से भी पढ़ना सही है और अकेले भी।

9. चिकित्सा के निर्देशों की बिना पर मास्क लगा कर नमाज़ पढ़ी जा सकती है और सफ़ों के बीच अंतर रखने की भी गुनजाइश है।

10. कोरोना से प्रभावित लोगों का मस्जिद में आना और जमाअत में शरीक होना मना

होगा।

11. कोरोना से प्रभावित लोगों के लिए डॉक्टरों के परामर्श पर रोज़ा न रखने की गुनजाइश है।

कोरोना के ज़माने में मस्जिद संबंधित मसायलः—

12. मस्जिद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर और मुक़द्दस इबादतगाह है, हर हाल में उसको आबाद रखने का हुक्म है इसलिए कोरोना या किसी भी महामारी के ज़माने में मस्जिदों को पूरे तौर पर बन्द कर देना या मुअत्तल कर देना जाएज़ नहीं है।

13. अगर किसी वजह से मस्जिद में जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने पर पाबन्दी लग जाए तब भी अपने समय पर अज़ान का प्रबन्ध आवश्यक है।

14. बड़ी जमाअत शरीअत में प्रिय है, फिर भी अगर महामारी की वजह से शासन के निर्देश की बिना पर लोगों को सीमित करने की मजबूरी हो तो उस पर अमल करना चाहिए।

15. मस्जिद के सम्मान और पवित्रता के पेशेनज़र मस्जिद के किसी भी भाग को कोविड सेन्टर बनाना जाएज़ नहीं।

कोरोना से प्रभावित मरीज़ की देख—भालः—

16. कोरोना से प्रभावित मरीज़ को बिलकुल अलग थलग कर देना और उसकी तीमार दारी न करना इस्लामी शिक्षा के विपरीत और इन्सानियत के विरुद्ध है।

17. कोरोना से प्रभावित मरीज़ अगर अपना इलाज स्वयं न करा सके तो रिश्तेदारों की ज़िम्मेदारी है कि उसके इलाज की व्यवस्था करें और उसको बेसहारा न छोड़ें, अगर उनमें शक्ति न हो या वह लापरवाही बरतें तो शासन और समाज उसके इलाज और देख रेख के ज़िम्मेदार होंगे।

कोरोना से मरने वाले लोगों की नमाज़ जनाज़ा और ग़ुस्ल से सम्बन्धित मसायलः—

18. अगर कोरोना पाबन्दियों की वजह से मय्यत को ग़ुस्ल देना या तयम्मुम कराना दुश्वार हो तो ग़ुस्ल का फ़रीज़ा समाप्त हो जाएगा, और मय्यत की नमाज़ जनाज़ा अदा की जाएगी।

19. अगर कोरोना मय्यत को सुन्नत के मुताबिक कफ़न देना दुश्वारा न हो तो कवर पर कफ़न पहना देना चाहिए और दुश्वारी की सूरत में कवर ही कफ़न के हुक्म में होगा।

20. अगर कोरोना मय्यत को नमाज़ जनाज़ा पढ़े बग़ैर दफ़न कर दिया गया तो उसकी कब्र पर उस वक़्त तक नमाज़ जनाज़ा पढ़ी जा सकती है जब तक लाश के परिवर्तन का यक़ीनी अनुमान न हो।

21. अगर मय्यत को बग़ैर जनाज़ा पढ़े दफ़न कर दिया गया और उसकी क़ब्र की जगह भी मालूम न हो तो उसकी ग़ाइबाना (अप्रत्यक्ष) रूप से नमाज़ जनाज़ा पढ़ी जा सकती है।

22. कोरोना महामारी से मरने वाले मुसलमान इनशाअल्लाह शहादत के अज्र के हक़दार होंगे।

कोरोना वैक्सीन से संबन्धित मसायलः—

23. अलकोहल मिक्स सेनिटाइज़र का प्रयोग जायज़ है।

24. कोरोना वैक्सीन एक प्रकार की दवा और सुरक्षा उपाय है आवश्यकतानुसार उसका लगवाना जाएज़ है।

प्रस्तावः बाबत सरकारी और ग़ैर सरकारी सूदी कर्ज़ेः—

ज़रूरतमंद लोगों को सूद के बिना कर्ज़ उपलब्ध कराना बहुत बड़ा सवाब का काम है। इस्लाम में इसकी बड़ी प्रेरणा दी गई है, और ज़रूरतमन्दों को क़र्ज़ देने पर बड़े अज्र का वादा किया गया है, मौजूदा ज़माने में क़र्ज़ देने का अमल बहुत कम हो गया है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अतिरिक्त पूंजी हो और वह ज़रूतमन्दों को सूद की शर्त लगाए बिना क़र्ज़ देते हों। मुसलमानों को इस नेक काम की प्रेरणा देना और उसकी अहमियत की ओर ध्यान दिलाना बहुत ज़रूरी है ताकि ज़रूरतमन्द लोग सूदी क़र्ज़ प्राप्त करने पर विवश न हों और सूदी क़र्ज़ प्राप्त करके अपनी जान व माल, इज़्ज़त आबरू और दीन व ईमान को ख़तरे में न डालें।

सन् 1971 ई0 में मजलिस तहक़ीकात शरइया नदवतुल उलमा ने सरकारी कर्ज़ों के विषय में सम्मेलन आयोजित किया था,

उस अवसर पर जारी किये गये प्रशनों के जवाब में उस समय के मुख्य उलमा और मुफ़्ती साहिबान ने जवाबात तहरीर फ़रमाये थे लेकिन किसी वजह से उस मजलिस में फ़ैसला नहीं हो सका, और विषय को लंबित कर दिया गया, मजलिस तहक़ीकात शरइया नदवतुल उलमा, लखनऊ के दो दिवसीय फ़िक़ही सेमिनार 23, 24 नवम्बर 2022 ई0 में इस विषय पर पुनः विचार–विमर्श किया गया, कुछ उलमा ने विषय सम्बन्धित निबंध मजलिस को भेजे।

दिनांक 23, 24 नवम्बर सन् 2022 ई0 के सेमिनार में सन् 1971 ई0 के फ़िक़ही सेमिनार में आने वाले फ़त्वे और तहरीरों और फ़िक़ही सेमिनार में भाग लेने वालों के बीच जो विचार हुऐ थे उनको सामने रखा गया और वर्तमान फ़िक़ही सेमिनार में जो नये लेख और तहरीरें प्राप्त हुईं उन पर भी चिन्तन किया गया इसके अतिरिक्त 1971 ई0 से ले कर 2022 ई0 तक सरकारी सूदी क़र्ज़ों और बैंकों के सूदी क़र्ज़ों के विषय में जो परिवर्तन हुआ उन पर भी इस फ़िक़्ही सेमिनार में विचार–विमर्श किया गया, इन सबकी रोशनी में विस्तार पूर्वक चिन्तन और आपसी वार्तालाप के बाद सेमिनार के सदस्यों की सहमति से निम्नलिखित फ़ैसले किये गयेः–

1. कर्ज़ दे कर उससे ज़ियादा वापस लेना सूद है, जिसे कुरआन व हदीस में विस्तार के साथ हराम क़रार दिया गया है, इसलिए उसका लेना देना दोनों नाजाएज़ है, अलबत्ता सूद की शर्त या प्रचलित रीति के बिना कोई क़र्ज ले और वह अपनी ख़ुशी से कुछ बढ़ा कर कर्ज़ वापस करे तो पसन्दीदा है।

2. इस्लाम में बिला ज़रूरत क़र्ज़ लेना अप्रिय काम है, यदि किसी व्यक्ति अथा किसी संस्था से क़र्ज़ प्राप्त किया जाए तो क़र्ज़ लेने वाले पर अनिवार्य है कि निश्चित समय पर क़र्ज़ अदा करे और उसके लिए पूरी कोशिश करे, सामर्थ्य के बावजूद निश्चित समय पर क़र्ज़ अदा न करना जाएज़ नहीं है।

3. मुसलमानों को व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार से ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए जिससे ज़रूरतमन्द लोगों को सरलता पूर्वक ग़ैर सूदी क़र्ज़ मिल सके।

4. व्यक्तिगत कामों और उन्नतिशील योजनाओं के लिए अगर किसी भी प्रकार ग़ैर सूदी कर्ज़ प्राप्त न हो सके तो सख़्त ज़रूरत के समय, जैसे क़ानूनी मजबूरी, माल, ज़मीन और जायदाद की सुरक्षा, हेतु आवश्यकतानुसार मकान की प्राप्ति, शिक्षा की प्राप्ति, करोबार की सुरक्षा, चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए आवश्यकतानुसार सूदी क़र्ज़ लेने की गुंजाइश है।

सेमिनार में भाग लेने वालेः–

1. मौलाना ख़ालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी, हैदराबाद।
2. मौलाना अतीक़ अहमद बस्तवी, लखनऊ।
3. मौलाना उबैदुल्लाह असअदी, बाँदा।
4. मौलाना सय्यद बिलाल अब्दुल हयी हसनी नदवी, लखनऊ।
5. मौलाना मुफ़्ती अब्दुर्रज़्ज़ाक़ क़ासमी, देवबन्द।
6. मौलाना मुफ़्ती नज़ीर अहमद, कशमीर।
7. मौलाना डॉ0 रज़ीउल–इस्लाम नदवी, नई देहली।
8. मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद ज़फ़र आलम नदवी, लखनऊ।
9. मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद ज़ैद मज़ाहरी नदवी, लखनऊ।
10. मौलाना मुफ़्ती अनवर अली, मऊ।
11. मौलाना अख़तर इमाम आदिल क़ासमी समस्तीपुर।
12. मौलाना मुस्तफ़ा अब्दुल कुद्दूस नदवी, गुज़रात
13. मौलाना ख़ुरशीद अनवर आज़मी, मऊ।
14. मौलाना क़ाजी मुहम्मद हसन नदवी, गुज़रात।
15. मौलाना क़ाज़ी सय्यद मुश्ताक़ अली नदवी, भोपाल।
16. मौलाना आफ़ताब आलम नदवी धनबाद।
17. मौलाना मुफ़्ती उबैदुल्लाह नदवी गुज़रात।

शेष पृष्ठ...29.. पर.

देश प्रेम के गुण

(अब्दुल रशीद सिद्दीक़ी नसीराबादी)

जो भाव विभोर नहीं होता, हृदय में जिसके प्यार नहीं।
वह मनुष्य नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।।

हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत वासी सब एक रहें।
मानव नहीं वह दानव हैं, जिसमें मानव का प्यार नहीं।

प्रेम अहिंसा भाई चारा, मानव के यह गुण उत्तम।
तन मन धन महफूज़ उसका, जिस मानव में तक़रार नहीं।।

भारत है सोने की चिड़िया, मानव इसके बहुमूल्य रतन।
इसकी सुरक्षा जो न करे, उसे जीने का अधिकार नहीं।।

भारत वासी सब भाई हैं, भाई से प्रेम स्वभाविक है।
भाई से अगर है प्रेम नहीं, तो जीने का अधिकार नहीं।।

अपने से बड़ों का अदब करो, छोटों से प्यार मोहब्बत हो।
मानव नहीं वह दानव है जिसमें गुण शिष्टाचार नहीं।।

हर जाति धर्म में समता हो, हर मानव में मानवता हो।
वह देश महान तभी होगा, जिसमें की अत्याचार नहीं।।

राजनीति हम ऐसी करें, जिससे मानव खुशहाल रहे।
नेता है वही सबसे अच्छा, जिसमें की अत्याचार नहीं।।

दूषित समाज जो करते, अपना ही सब कुछ खोते हैं।
दूषित समाज के अनुयायी, ईश्वर को स्वीकार नहीं।।

हर मानव में मानवता रहे, हर मानव में समता भी रहे।
ऊँच नींच और भेद भाव, सिद्दीक़ी को स्वीकार नहीं।।

❖❖❖

मौलाना शब्बीर अहमद नदवी का इन्तिक़ाल

नाज़िरे मअ़हद दारूल उलूम नदवतुल उलमा, लखनऊ (सिकरौरी) जनाब मौलाना शब्बीर अहमद नदवी का लगभग 60 साल की उम्र में 31–12–2022 को लम्बी बीमारी के बाद लखनऊ के एक अस्पताल में इन्तिक़ाल हो गया ''इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन''।

मौलाना मरहूम 18 जून 1962 ई0 को अपने पैतृक गाँव पूरे हाजी खुशहाल कोलवा में पैदा हुए आपके वालिद हाजी अब्दुर्रज़्ज़ाक़ बीस साल की उम्र में मुफ़क्किरे इस्लाम हज़रत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली नदवी रह0 से संबंधित हो गये थे और हज़रत रह0 की वफ़ात तक उनके ख़ादिमे ख़ास रहे, उनके बाद हज़रत रह0 के उत्तराधिकारी नाज़िम नदवतुल उलमा, मख़दूम व मुरशिद हज़रत मौलाना मुहम्मद राबे हसनी नदवी की ख़िदमत में रहे और पूरी ज़िनदगी बुज़ुर्गों की ख़िदमत में गुज़ार दी। मौलाना शब्बीर अहमद नदवी ने मकतब की तालीम तकिया कलाँ दार–ए–शाह अलमुल्लाह रायबरेली में हासिल की, फिर मदरसा फ़लाहुल मुस्लिमीन में दाख़िला लिया वहाँ से दारुल उलूम नदवतुल उलमा, लखनऊ आये, आलमियत (1980 ई0) फ़ज़ीलत (1982 ई0) तक की तालीम यहां पूरी की, फ़राग़त के बाद हज़रत मौलाना वाज़ेह रशीद हसनी नदवी रह0 की तरबियत में पंद्रह रोज़ा अरबी मैगज़ीन ''अल–राइद'' से जुड़ गये और 1987 ई0 तक संबंधित रहे वहां से कुछ महीनों के लिए ''कुल्लियतिल लुग़तिल अरबिया'' ट्रांन्सफ़र हुए और फिर 1988 ई0 से मअ़हद दारुलउलूम में नियुक्त हुए, भूत पूर्व नाज़िर मअ़हद डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी की बीमारी की वजह से 1996 ई0 में स्थायी नाज़िर मअ़हद बनाये गये, और फिर कुछ साल बाद ''मअ़हद'' दारुल उलूम नदवतुल उलमा के मेन कैम्पस से सिकरौरी हरदोई, रोड शिफ्ट हो गया और वह पूरी लगन के साथ पूर्ण रूप से मअ़हद की ख़िदमत करते रहे। मौलाना मरहूम नेक शरीफ, नर्म मिज़ाज, आलिमे दीन थे, ख़ानदानी शराफ़त के अलावा बुज़ुर्गों की संगत ने उनको और अच्छा बना दिया था, अपनी ज़िम्मेदरियों को भलीभांति पूरा किया, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुक़ाम अता फ़रमाये। ◆◇◆

मौलाना मुहम्मद अज़ीम खाँ नदवी अल्लाह के हुज़ूर में

दारुल उलूम नदवतुल उलमा, लखनऊ के योग्य और सीनियर उस्ताज़ मौलाना अज़ीम खाँ नदवी का 13 जनवरी 2023 ई0 को इन्तिक़ाल हो गया, ''इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन''। मौत एक अनिवार्य चीज़ है जिससे किसी को छुटकारा नहीं, लेकिन जब हमारे बीच से लाएक़ और शरीफ़ आदमी चला जाता है तो उसकी कमी महसूस होती है। दारुल उलूम के ज़िम्मेदारों की निगाह में बहुत ही भरोसेमन्द और सम्मानीय उस्ताज़ थे यही वजह है कि उन्हें नदवे की अहम ब्रांचों में कभी उस्ताज़ की हैसियत से कभी निगराँ की हैसियत से भेजा गया, वहां उन्होंने सफ़लता पूर्वक अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाया और ज़िम्मेदारों की प्रशंसा प्राप्त की, अपने अच्छे अख़लाक़ और अच्छी कारकरदगी की वजह से शागिरदों और सहपाठियों में बहुत प्रिय थे, सच्चे और पक्के मोमिन थे, मरहूम के पेशेनज़र हमेशा अल्लाह की रज़ा और अपने फ़र्ज़ मन्सबी को पूरा करना, यही उनका मौलिक उद्देश्य था। ◆◇◆

न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह।

बचपन से ही दांतों की देखभाल ज़रूरी

डॉ0 राकेश अग्रवाल

दाँतों का मानव स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। दाँत को ''गेट वे ऑफ हेल्थ'' अर्थात् ''स्वास्थ्य का द्वार'' भी कहा जाता है।—

स्वस्थ और मजबूत दाँत मानव शरीर में एक अहम भूमिका निभाते हैं। अधिकतर लोग इस गलतफहमी का शिकार रहते है कि दाँत सिर्फ खाने— पीने में मदद करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दाँत भोजन संबंधी प्रक्रिया से लेकर मनुष्य के व्यक्तित्व तक अपनी छाप छोड़ते हैं। इसके महत्व को मोटे तौर पर चार भागों में बाँटा जा सकता है।

1. भोजन करने में
2. बातचीत में
3. खूबसूरत लगने में
4. अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में दाँतों का सहयोग।

भोजन का दाँतों से संबंध तथा इसके प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभावः—

भोजन और दाँत का सीधा संबंध है। हम जैसा भोजन खायेंगे, दाँत भी वैसे ही बनेंगे। बचपन में बच्चे के दाँत पूरी तरह से माँ की खुराक पर निर्भर करते हैं। इसीलिए माँ को दूध, दही, हरी सब्जियाँ आदि पर्याप्त मात्रा में खानी चाहिए ताकि बच्चे में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी न हो। बच्चे को ऊपर का दूध व दही भी देना चाहिए। यदि बचपन में बच्चे की खुराक में कोई कमी रह जाती है तो दाँत निकलने में देरी हो सकती है, उनके टूटने के बाद पक्के दाँत निकलने होते हैं। इसीलिए बच्चे को हरी सब्जी फल, दालें आदि खिलानी चाहिए। बड़े होने पर सख़्त भोजन लेना चाहिए। खाना अच्छी तरह से पचना चाहिए। खाने के बाद दाँत अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए। अन्यथा दाँत में कीड़ा लगने की पूरी आशंका बनी रहती है।

कुपोषण का असरः—

दंत स्वास्थ्य पर कुपोषण का असर धीरे—धीरे दिखाई देता है। विटामिन सी व बी कॉम्प्लैक्स की कमी दाँतों के लिए हानिकारक है। हड्डी कमज़ोर हो जाती है। दाँत हिलने लगते हैं और जल्दी ही गिरने लगते हैं। कुपोषण की कमी को दूर करने पर दाँत पहले जैसे स्वस्थ व मजबूत हो सकते हैं।

बचपन से ही दाँतों के प्रति सावधानीः—

दरअसल जो माँ—बाप बच्चे के दूध के दाँतों के प्रति लापरवाही बरतते हैं, उनके बच्चों को बड़े हो कर दंत संबंधी कई बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। इसीलिए बचपन से ही दाँतों के प्रति सावधान होना चाहिए। बचपन में बच्चा जो खाना चबाता है उससे हड्डी का व्यायाम शुरु हो जाता है। व्यायाम से हड्डी बढ़ती है और वह एक आकार ग्रहण करने लगती है।

दूध के दाँत पक्के दाँतों के लिए जगह बनाते हैं। अगर ये खराब हो जायें तो आने वाले दाँतों को बाहर निकलने के लिए सही स्थान नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में पक्के दाँत टेढ़े—मेढ़े, आगे या पीछे निकल आते हैं।

मीठा हमेशा दाँतों के लिए नुकसानदायक है कभी— कभी बच्चों को टॉफी या दूसरी मीठी चीज़ों के स्थान पर चिवंगम, बबुलगम देना चाहिए, इसके खाने से मुँह में थूक बनता रहता है जो कि दाँत को साफ करता है। इसके अतिरिक्त मीठे पदार्थों से ग्लूकोज व शुगर होता है जो कि दाँतों के साथ चिपका रहता है। मुँह में कीटाणु होते हैं और ग्लूकोज व शुगर उन कीटाणुओं के साथ मिल कर तेजाब बनाते हैं। तेजाब दाँत को काटता है जिससे कीड़ा और छेद लगना शुरु हो जाता है।

इसीलिए बचपन से ही दाँतों के प्रति आँख बन्द नहीं कर लेनी चाहिए। बल्कि उनकी उचित देखभाल के लिए खासतौर पर ध्यान देना चाहिए।

.....ज़ारी.....

❖❖❖

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

अबू मोहम्मद आमिर नदवी

सोने की स्याही से लिखी कुर्आन प्रदर्शन के लिए रखी गईः—

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर.एस.एस) से प्रेरित एक संगठन द्वारा संरक्षित सोने की स्याही से लिखी 16वीं सदी की दुर्लभ कुर्आन मंगलवार को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में प्रदर्शन के लिए रखी गई है। 'सोने की स्याही वाली कुरआन प्रदर्शित करने वाली संस्था रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन (आरएफआरएफ) नॉलेज रिसोर्स सेंटर के निदेशक भुजंग बोबड़े ने बताया, सोने की स्याही वाली यह कुर्आन 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी। दुनिया में कुरआन की ऐसी केवल चार प्रतियां हैं' इनमें से कई को सदियों पुराना माना जा रहा है। आरएफआरएफ भारतीय शिक्षण मंडल (बीएसएम) की अनुसंधान शाखा है।

सऊदी के एक अस्पताल में 8 महीने की बच्ची को स्वस्थ दिल दिया गयाः—

रियाज (यूएनआई) सऊदी अरब के रियाज स्थित अस्पताल के सर्जनों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए एक 8 महीने की बच्ची में एक स्वस्थ दिल का प्रत्यारोपण किया। अरब न्यूज के मुताबिक, सऊदी अरब में किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर की पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी टीम ने 24 घण्टे के भीतर राजधानी रियाज में 2 लड़कियों का हार्ट ट्रांसप्लांट किया है। ऑप्रेशन से पहले, दो लड़कियां, 8 महीने से कम उम्र की एक अमीराती लड़की और 19 महीने की सऊदी लड़की दिल की विफलता के कारण गंभीर स्थिति में थीं, और दोनों लड़कियों का प्रत्यारोपण के इंतज़ार में गहन देखभाल इकाइयों में भी रखा गया था। आठ महीने की बच्ची का हृदय प्रत्यारोपण का मामला मध्य पूर्व में सबसे कम उम्र का हो गया है, घैम नाम की 11 महीने की बच्ची का पहला प्रत्यारोपण 2021 में किया गया था। पहली सर्जरी के लिए, किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर की सर्जिकल टीम ने मृतक डोनर हार्ट को पुनः प्राप्त करने के लिए दुबई की यात्रा की, जबकि दूसरी सर्जरी के लिए, टीम ने मक्का की यात्रा की।

लौटा रहा अल नीनो, इस साल बढ़ेगी गर्मी—सूखः—

इस साल दुनियाभर को प्रचंड गर्मी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि तापमान को प्रभावित करने वाली मौसमी घटना अल नीनो की तीन साल बाद वापसी हो रही है। इस कारण कुछ देशों में बहुत गर्मी और लंबे सूखे तो कुछ देशों में तीव्र तूफान, कम सर्दी और बाढ़ जैसी घटनाएं होती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अल नीनो का प्रभाव इस साल के अंत से शुरु होगा। इसके कारण वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है।

ब्राजील में पुलिस की मिलीभगत से संसद पर हमलाः—

ब्राजील में नये राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा के शपथ ग्रहण समारोह के एक हफ़्ते बाद पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सेनारो के हज़ारों समर्थकों ने वहां संसद और राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ मचा दी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक दंगाईयों ने यह भी ध्यान नहीं रखा की वो किस चीज़ को तोड़ रहे हैं। उन्होंने अपने ही देश की बहुत कीमती पेंटिंग और आर्ट को नुकसान पहुँचाया है। जिससे ब्राजील को करोड़ों का नुकसान हुआ है। ब्राजील में राष्ट्रपति भवन के एक अधिकारी ने बताया कि उनके आर्ट कलेक्शन को जो नुकसान पहुँचा है उसको कभी ठीक नहीं किया जा सकता है। हिंसा के दौरान तोड़ी गई एक पेंटिंग की कीमत तो 12 करोड़ 27 लाख रूपये थी। वहीं एक आर्टिस्टिक ढाँचा 38 लाख का था जिसे प्रदर्शनकारियों ने कई जगह से तोड़ दिया। ◆◆◆

नदवतुल उलमा
पोस्ट बाक्स न0 93, टैगोर मार्ग,
लखनऊ -226007 (भारत)

ندوۃ العلماء
پوسٹ بکس ۹۳ - ٹیگور مارگ
لکھنؤ - ۲۲۶۰۰۷ (الہند)

दिनांक 01/02/2023 _____ تاریخ

स्टॉफ़ क्वाटर्स की तामीर के लिए अपील

अल्लाह तआला का शुक्र व एहसान है कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा हज़रत मौलाना सैय्यद मो0 राबे हसनी नदवी दामत बरकातुहुम, नाज़िम नदवतुल उलमा की सरपरस्ती में अपनी इल्मी व दीनी, तालीमी व तरबियती ख़िदमत अंज़ाम दे रहा है, दारुल उलूम और उसकी ब्रांचों में इल्मी तालीमी सिलसिला बराबर जारी है, टीचर्स व स्टॉफ अपनी ज़िम्मेदारियों को अंजाम दे रहे हैं, टीचर्स व स्टॉफ की अधिकता की वजह से दारुलउलूम में उनके रहने की गुंजाइश नहीं रही तो दारुलउलूम के मेन कैम्पस के अलावा माहद सिकरौरी में स्टॉफ क्वाटर्स और माहद के करीब नदवा कालोनी की तीन मंज़िला बिल्ड़िंग तामीर हुई, मगर अब भी स्टॉफ के लिए क्वाटर्स की कमी बहुत ज़ियादा महसूस की जा रही है, इस सूरते हाल की वजह से नदवा मेन कैम्पस से करीब मुहल्ला मकारिम नगर में कुछ और स्टॉफ क्वाटर्स बनाने का फैसला किया गया है, और अल्लाह तआ़ला की मदद के भरोसे पर यह तामीर शुरु कर दी गयी है।
नये स्टॉफ क्वाटर्स की यह बिल्डिंग तीन मंजिला होगी, जिसमें 9 फेमली क्वाटर्स होंगे, इसकी तामीर पर 1,15,00000/– (एक करोड़ पंद्रह लाख) रूपये के खर्च का अंदाज़ा है, जो इंशाअल्लाह अहले खैर हज़रात के सहयोग से पूरा होगा।

हम उम्मीद करते हैं कि आप इस अहम ज़रूरत की ओर फौरन तवज्जोह फरमायेंगे और नदवतुल उलमा के कारकुनों का हाथ बटायेंगे।

हमें अल्लाह तआला की ज़ात पर पूरा भरोसा है कि उसकी मदद से यह काम मुकम्मल होगा।

मौलाना सै0 बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी
नाजिरे आ़म नदवतुल उलमा

(मौलाना डॉ0) तक़ीउद्दीन नदवी
मोतमद तालीम नदवतुल उलमा

डॉ0 मुहम्मद असलम सिद्दीक़ी
मोतमद माल नदवतुल उलमा

(मौलाना डॉ0) सईदुर्रहमान आज़मी नदवी
मोहतमिम नदवतुल उलमा

नोटः चेक/ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें:
NADWATUL ULAMA
और इस पते पर भेजें:
NAZIM NADWATUL ULAMA
Nizamat Office, Nadwatul Ulama.
Tagore Marg, Lucknow-226007 (UP)

बरा–ए–करम अतियात भेजने के बाद रसीद हासिल करने के लिए नं0 **8736833376** पर इत्तिला ज़रूर करें।

नदवतुल उलमा
STATE BANK OF INDIA MAIN BRANCH, LUCKNOW
(IFSC: SBIN0000125)
–:तअ़मीरः–
A/C No. 10863759733

नोटः नदवतुल उलमा, लखनऊ को दिये गये चन्दे को **Section 80G income Tax act 1961**के तहत छूट प्राप्त होगी।
Online Donation Link: https://www.nadwa.in.donation/ Website: www.madwa.in, Email: nizamat@nadwa.in

RNI No. UPHIN/2002/0795
Regd. No. SSP/LW/NP-491/2021 To 2023
Dispatch Date :1 & 5
Published of 27th Advance Month
Dispatch: R.M.S Charbagh, Lucknow

MONTHLY
SACHCHA RAHI
Vol. 21 - Issue 12

Office Timing : 7:30 AM To 1:15PM
Tel.:(0522) 2740406
ISSN No. : 2582-4007
http://sachcha-rahi.nadwa.in
E-mail: sachcharahi2002@gmail.com

R.K. Clinic Research CENTRE

R. K. CLINIC
& RESEARCH CENTRE
Dr. Mohammad Fahad Khan
M.D.

विशेषज्ञ

पेट एवं उदर रोग, श्वास एवं चेस्ट रोग, एण्ड्रोक्रायोनोलोजी एवं मधुमेह रोग

24 HOURS EMERGENCY SERVICES AVAILABLE

G-1, Aman Apartments, Chaupatiyan, Opp. Power House, Lucknow
Ph.: 0522-2651950, 9415006983

Printed & Published by Mohammad Taha Athar on behalf of Majlis-e-Sahafat-wa-Nashriyat
at Kakori Offset Press, Aminabad, Lucknow